स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–2, माघ–फाल्गुन 2067, फरवरी 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

–कार्यालय–
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।
दूरभाष : 011–26184595

आवरण–कथा

काले धन पर कार्रवाई पर उहापोह

ताबूत में आखिरी कील न हो

देश में काले धन को वापस लाने की लगातार गर्म होती मुहिम और पुणे का अरबपति हथियारों का सौदागर हसन अली खान की कांग्रेस नेताओं से नजदीकी यूपीए सरकार के लिये खतरे की घंटी हो सकती है। इस मुद्दे पर सरकार जाने का भी खतरा है। **–एक रिपोर्ट**

अ नु क्र म

आवरण लेख
ताबूत में आखिरी कील न हो. .. /5

प्रतिक्रिया
महंगाई की मूल जड़ भ्रष्टाचार
– **बलवीर पुंज** /7

सवाल
काले धन के सामने कमजोर क्यों?
– **डॉ. वेदप्रताप भारती** /9

सामयिकी
नेता और व्यापारी के कार्य विभाजन से रूकेगा भ्रष्टाचार
– **डॉ. भरत झुनझुनवाला** /12

कृषि
तबाही की तरफदारी में शामिल सरकारी तंत्र
– **देविन्दर शर्मा** /14

पर्यावरण
पानी की राजनीति
– **अनुपम मिश्र** /17

समस्या
आबादी के बोझ तले शहर
– **निरंकार सिंह** /20

मानवता
विवेकानंद का विलक्षण दर्शन
– **जगमोहन** /23

लेख
महिला आरक्षण – **रेणु पुराणिक** /25

विचार–विमर्श
दक्षिण एशिया महासंघ अखण्ड भारत के स्वप्न . . .
– **दीवान अमित अरोड़ा** /27

मुद्दा
भक्तों के बीच भगदड़ का सिलसिला
– **अवधेश कुमार** /30

पड़ताल
मोबाइल टावर के नाम पर खड़ी हुई खतरे की मीनारें
– **लिमटी खरे** /33

तिरछी नज़र/4, आंदोलन/34

पाठकनामा

चुपचाप महंगाई की मार झेल रही जनता

आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली सभी जरूरी वस्तुओं के दाम दिन प्रति दिन आसमान छू रहे हैं। व्यक्ति इन चीजों के बिना नहीं रह सकता। पहले जहां केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार जनता को ये मूलभूत जरूरतों की चीजें उपलब्ध कराना अपना कर्तव्य समझती थी। अब सरकार ने मूलभूत जरूरत की इन चीजों को अपनी आय का साधन बना लिया है। सरकार ने बिजली व पानी के दाम बहुत अधिक बढ़ा दिए हैं। दूध के दाम साल में दो–तीन बार बढ़ा दिए जाते हैं। पैट्रोल और डीजल के दाम प्रत्येक दो माह बढ़ ही जाते है। जबकि निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुनने वाला आज कोई भी नहीं है। उनके लिए तो किसी तरह अपनी नौकरी करना और अपना पेट पालना है। अगर वेतन बढ़ाने को कहे तो नौकरी गई और न कहें तो सरकार की तरफ से महंगाई की मार। वो तो दोनों तरफ की चक्की के पट्‌टे के बीच में पीस रहे हैं। उनकी सुनने वाला आज कोई भी सरकार नहीं है। जहां एक ओर सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा है, दूसरी ओर गरीब जनता महंगाई में भूख से त्राहि–त्राहि कर रही है।

– दीपक रावत, बी–298, अल्फा–फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा।

आने वाला बजट भी देश को महंगाई की आग में झोकेगा

मैं स्वदेशी पत्रिका का नियमित पाठक हूं। फरवरी माह के अंत में बजट आने वाला है लेकिन आज तक जितने भी बजट आए हैं वह गरीब विरोधी ही रहे, क्योंकि जब भी सालाना बजट आया वह महंगाई की सौगात लेकर ही आया। बजट ने आम जनता को सदैव ही रुलाया।

आज जनता का यह हाल है कि वह अपनी जरूरत की चीजें देख तो सकते हैं परंतु खरीद नहीं सकती। जिसे देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली व केंद्र सरकार महंगाई खत्म कराने में तो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन महंगाई बढ़ाकर गरीब खत्म कराने में तो सफलता पा ही लिया है। आने वाला सालाना बजट क्या देश की जनता को फिर महंगाई की आग में झोंकेगा या महंगाई से राहत।

– राकेश कुमार दास, मीडिया अपार्टमेंट, अभय खण्ड, गाजियाबाद

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

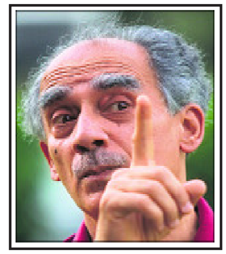

कपिल सिब्बल भ्रष्टाचारी मंत्री ए राजा के वकील की तरह काम कर रहे हैं।

– अरुण शौरी

इंदिरा जी की रसोई बनाते बनाते राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल।

– राजस्थान के मंत्री अमीन खान

2–जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसाइटी, बोफोर्स, राष्ट्रमंडल घोटाले और विदेश में जमा काला धन व महंगाई कांग्रेस को ले डूबेंगे।

– नितिन गडकरी

केंद्र सरकार राज्यों से कहती है कि मनी–लॉड्रिंग पर सख्त कदम उठाए, लेकिन जब विदेशी बैंकों में जमा काले धन की बात की जाती है तो केंद्र कहता है कि यह टैक्स चोरी का मामला है।

– नरेन्द्र मोदी

संपादकीय

असहाय सरकार बदहवास नेतृत्व

जिस तरह संकट आने पर एक असहाय व्यक्ति बदहवास की स्थिति में पहुंच जाता है, उसी तरह मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में भी नजर आते हैं। लगातार घोटाले और अनियमिताओं के मामले उजागर होने और जनता में उसके विरूद्ध में उठती आवाजों से प्रधानमंत्री एकदम विचलित नजर आते हैं। उनके बयानों और उनके द्वारा उठाये गये कदमों के बीच में कहीं कोई तालमेल नजर नहीं आता।

हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि न्यायपालिका आये दिन उनकी सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। कभी बोफोर्स के मुद्दे पर तो कभी 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले पर तो कभी अनियमिताओं के आरोपी नेताओं को मंत्री पद पर बिठाये रखने के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री अपने घर को ठीक करने के बजाय न्यायपालिका से ही उलझते नजर आते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने न्यायपालिका को अपनी हद में रहने की धमकी दी।

जाहिर है कि एक शालीन प्रधानमंत्री इस तरह की बातें सामान्य स्थिति में नहीं कर सकते। देश में न्यायपालिका का अस्तित्व पूरी तरह स्वतंत्र एवं सम्प्रभु है। राजनीतिक या सरकारी हस्तक्षेप न के बराबर होता है। ऐसे में यदि कार्यपालिका, न्यायपालिका को धमकी भरे अंदाज में नसीहत देती है तो समझा जाना चाहिए कि स्थिति कहीं न कहीं नियंत्रण से बाहर है। बेचारे मनमोहन सिंह करे भी तो क्या? मंत्री परिषद सामूहिक जिम्मेदारी से बंधी होती है। मनमोहन सिंह की सरकार में सबसे बड़ी कमी इसी सामूहिक जिम्मेदारी के मामले में है। कहीं कोई भी मंत्री सरकार की जिम्मेदारी और जनता के प्रति उसके दायित्व के साथ सामंजस्य बनाने के लिये तैयार नहीं। अलग–अलग मंत्रालय, अलग–अलग राग।

देश आज भी तीन मुद्दों से घिरा पड़ा है। उन तीनों मुद्दों पर न तो कांग्रेस में एक सहमति है, न सरकार में। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सार्वजनिक मंच पर लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दोनों शीर्षस्थ नेता यह संकेत देने के प्रयास में लगे हैं कि उनके स्तर से भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जायेगा। हो रहा ठीक इसके उलट। सरकार के मंत्री या स्वयं प्रधानमंत्री का कार्यालय अंतिम समय तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने में लगा हुआ है। 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले का ही मामला लें, सीएजी से लेकर सीबीआई तक ने घोटाले को माना, उसकी जांच की और न्यायालय में मामले को ले गये। इसके उलट कांग्रेस के बड़बोले नेता कपिल सिब्बल, जिन्हें राजा के बाद संचार मंत्रालय का दायित्व दिया गया, अभी तक यह समझाने में लगे हैं कि 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला हुआ ही नहीं। इसके पहले बोफोर्स को लेकर भी यही हुआ।

कांग्रेस के बड़े–बड़े नेता और यहां तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यालय यह दावा करता रहा कि क्वात्रोच्चि बोफोर्स घोटाले के लिये जिम्मेदार नहीं है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है जबकि सरकार का ही एक विभाग आयकर ट्रिब्यूनल ने तमाम साक्ष्यों के साथ यह रिपोर्ट पेश की कि बोफोर्स में दलाली ली गयी और पैसा बिनचड्डा और क्वात्रोच्चि के खाते में गया। काले धन को भी लेकर सरकार अलग–अलग तर्क और बयान देकर यह बताने में लगी हुई है कि काला धन से संबंधित जानकारी दी ही नहीं जा सकती। क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संघों के खिलाफ होगा जब विपक्ष ने इस मसले को उठाया और विशेषज्ञों ने सरकार को जब आइना दिखाया तो वित्त मंत्रालय कुछ 10–15 लोगों की सूचियों के साथ हाजिर हो गया।

जाहिर है इन सूचियों में किसी राजनेता का नाम नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई राजनेता काले धन में शामिल नहीं, इसका सिर्फ एक ही आशय है कि सरकार के मन में उन लोगों के नाम लाने की इच्छा नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मंहगाई का है। इस मुद्दे पर तो अजीब–अजीब से तर्क और तरह–तरह के कारण गिनाये जा रहे हैं। कांग्रेस में कोई यह कहता है कि पूरी दुनिया में महंगाई है इसलिये भारत भी इस समस्या से जूझ रहा है। कोई कहता है कि भारत के लोग ज्यादा खाने लगे हैं इसलिये मंहगाई बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद कहते हैं कि आय बढ़ रही है इसलिये मंहगाई बढ़ रही है। एक बयान सभी मंत्री यह देते हैं कि मंहगाई कब खत्म होगी, यह हम नहीं बता सकते? क्योंकि हम ज्योतिष नहीं हैं। इसी से पता चलता है कि यह सरकार किस जवाबदेही से काम करती है।

तिरछी नज़र

"कहने को दलित उत्थान में लगी हुई हैं लेकिन उन्होंने खुद का इतना उत्थान कर लिया है कि लोग उन्हें अब दलित नहीं, दौलत की बेटी कहने लगे हैं। मायावती को करीब से जानने वाले यह कहते हैं कि बहन जी के सामने कोई कुर्सी पर बैठ सकता। लोग यहां तक कहते हैं कि उनके पास पहुंचकर कोई मुंह नहीं खोलता। मायावती जी सम्मानसूचक विशेषणों का कम ही प्रयोग करती हैं। उनके निर्णय पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता।"

माया मेम साहब ने पुलिस अधिकारी से अपने जूते साफ करवाये, हंगामा हो गया। लोगों ने इसे सामंतवादी मानसिकता बताया। भला दलित की बेटी इतनी बड़ी तोहमत कैसे सह सकती है। प्यादों से कहलवाया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है।

पता नहीं क्यों इस तरह की हरकतों के लिये विपक्ष के लोग चिल्लपों मचाते हैं। सामंतवादी प्रथा से लड़ते–लड़ते खुद सामंती हो जाने की घटना मायावती के साथ तो पहले ही घट चुकी है। कहां से वह सामंती नहीं लगतीं, व्यवहार से, पहनावे से, शासन से और यहां तक कि बातचीत से भी।

कहने को दलित उत्थान में लगी हुई हैं लेकिन उन्होंने खुद का इतना उत्थान कर लिया है कि लोग उन्हें अब दलित नहीं, दौलत की बेटी कहने लगे हैं। मायावती को करीब से जानने वाले यह कहते हैं कि बहन जी के सामने कोई कुर्सी पर बैठ सकता। लोग यहां तक कहते हैं कि उनके पास पहुंचकर कोई मुंह नहीं खोलता। मायावती जी सम्मानसूचक विशेषणों का कम ही प्रयोग करती हैं। उनके निर्णय पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। वो चमकीले वस्त्र पहनते हैं, वे स्वर्ण आभूषण की दीवानी हैं। उन्हें दौलत इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। इन सब गुणों के आगे जूते साफ कराने जैसे एक दोष की क्या बिसात।

लोग यूं ही शोर मचा रहे हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव आने वाला है। बहन जी के सामने कोई खड़ा दिखाई नहीं देता। हाल ही में एक अखबार में सर्वेक्षण जारी किया जिसमें यह आंकलन किया गया है कि यदि यह चुनाव हुआ तो मायावती को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस तो हांसिये पर जायेगी।

यह लोकतंत्र है। जनता को बुरे में से सबसे कम बुरा चुनना है। उत्तर प्रदेश में लगातार बलात्कार की खबरें आ रही हैं। पुलिस महकमा बे–लगाम है। भ्रष्टाचार चरम पर है। फिर भी मायावती मजबूत हैं। सत्ता में वापसी की संभावनायें उन्हें और आक्रामक बना रही है। वह विपक्ष को ललकार सकती हैं। प्रदेश में राजनीतिक शून्यता जितनी बड़ी होगी। उतनी ही मायावती मजबूत होंगी। कांग्रेस भाजपा या समाजवादी पार्टी लकीर पीटने में लगी हैं। जनता का विश्वास इनके साथ नहीं। पिछले डेढ़–दो साल में जितने चुनाव हुए हैं सब पर हाथी भारी रहा।

काले धन पर कार्रवाई पर उहापोह

ताबूत में आखिरी कील न हो

सरकार यदि चाहती तो हसन अली खान के ऊपर आतंकवाद निरोधी कानून के तहत भी मुकदमा दर्ज कर सकती है उसकी त्वरित गिरफ्तारी कर उससे देश के बाहर गैर कानूनी तरीके से पैसे भेजने, हथियारों की डील करने और आतंकवादियों को मदद पहुंचाने जैसे मामले पर पूरी जानकारी इकट्ठा करती और उसके आधार पर ठोस कार्यवाही करती। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह रही कि इतने ठोस सबूत के बावजूद सरकार ने हसन अली खान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

काले धन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित कार्यबल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में जो खुलासे किये हैं उससे सहज ही मन में प्रश्न उठता है कि क्या देश में संविधान काम कर रहा है? क्या यहां पर कानून का राज है। क्या केन्द्र में बैठी सरकार अपना दायित्व निभा रही है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ काले धन के स्रोत और विदेशी बैंकों में जमा भारतीय पूंजी के बारे में बताया गया है बल्कि कुछ बहुत ही खास जानकारियां दी गयी हैं, जिन्हें सार्वजनिक किये जाने के बाद यह डर है कि यूपीए की यह दूसरी सरकार समय से पहले दम न तोड़ दे।

सबसे चौंकाने वाला एवं शर्मनाक तथ्य यह सामने आया है कि हथियारों के सौदागर अरबपति हसन अली खान जिसके 32 हजार करोड़ रुपये स्विस बैंक में जमा थे, वह कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के बहुत करीबी रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी उसका नाम जोड़कर देखा जा रहा है।

हाल ही में एक पाक्षिक पत्रिका ने भी इस अरबपति डॉन की कहानी छापी थी। हसन अली खान 1990 के दशक में हवाला कारोबार से जुड़ा। 2006 आते–आते वह अरबपति बन गया। 1982 में उसके पास 15 लाख अमेरिकी डॉलर का बैंक बैलेंस था जो 2006 में बढ़कर 8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। उसके साथ जिन लोगों ने हवाला कारोबार का धंधा किया उसमें सबसे मशहूर नाम हथियारों के व्यापारी अदनान खगोशी का भी नाम आता है।

यह वही अदनान खगोशी है जो भारत में भी राजीव गांधी के जमाने में हथियारों की डील में बिचौलिये की भूमिका में था। इसी अदनान खगोशी ने श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिट्टे को भी हथियारों की आपूर्ति की। लिट्टे ने ही राजीव गांधी की हत्या कर दी। कांग्रेस बहुत जल्दी अपने दुश्मनों को भूल गयी और हसन अली जैसे खतरनाक मुजरिमों के साथ गलबहियां करने लगी। कांग्रेस के साथ हसन अली के रिश्ते प्रगाढ़ हैं, यह इस बात से समझा जा सकता है कि जनवरी, 2007 में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हसन अली के यहां छापा मारे जाने के बाद मिली जानकारी को न सिर्फ दबा दिया गया बल्कि बोफोर्स दलाली के लिये जिम्मेदार क्वात्रोच्चि की तरह हसन अली को भी आसानी से अपने पैसे निकालकर देश से भाग जाने दिया गया।

जनवरी, 2007 में ही प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने यह पता लगा लिया था कि हसन अली के नाम से स्विस बैंक में तीन गुप्त खाते चल रहे हैं। उस समय लगभग उसके इन खातों में 8 अरब डॉलर, जो भारतीय रूपये में 36 हजार करोड़ रूपये बनते हैं, जमा थे। प्रवर्तन निदेशालय ने उस समय ही यह जानकारी सरकार को दी थी कि हसन अली के अदनान खगोशी से गहरे रिश्ते हैं और दोनों ने मिलकर हथियारों की तस्करी

कांग्रेस के साथ हसन अली के रिश्ते प्रगाढ़ हैं, यह इस बात से समझा जा सकता है कि जनवरी, 2007 में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हसन अली के यहां छापा मारे जाने के बाद मिली जानकारी को न सिर्फ दबा दिया गया बल्कि बोफोर्स दलाली के लिये जिम्मेदार क्वात्रोच्चि की तरह हसन अली को भी आसानी से अपने पैसे निकालकर देश से भाग जाने दिया गया।

और आतंकवादियों को मदद पहुंचाने के एवज में यह सारे पैसे कमाये हैं।

प्रवर्तन निदेशालय उस समय ही यह संकेत दिया था कि हसन अली किसी खास राजनेता के लिये भी काम करता है। प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेज यह भी बताते हैं कि छापे के समय हसन अली के स्विस बैंक खाते में उस समय 6 अरब डॉलर नकद थे और 2.04 अरब डॉलर 15 जनवरी 2007 को उसके खाते में ट्रांसफर होने थे।

प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेज से यह भी तथ्य सामने आता है कि स्विस बैंक के अधिकारियों को इस बात की खबर थी कि हसन अली आतंकवाद, रिश्वत और हथियारों की तस्करी आदि से प्राप्त पैसे को ही उनके बैंक में जमा कर रहा है। इसलिये उन्होंने खुद ही उसके दूसरे खाते में जमा लगभग तीन अरब डॉलर को सीज कर दिया था। कानून के अनुसार होना यह चाहिए था कि हसन अली के खिलाफ त्वरित गैर कानूनी निरोधी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होता, उसके खाते सीज होने की कार्यवाही होती। जैसे कि वी.पी. सिंह की सरकार ने बोफोर्स मामले में क्वात्रोच्चि के खाते को सील करने की कार्यवाही की थी।

सरकार यदि चाहती तो हसन अली खान के ऊपर आतंकवाद निरोधी कानून के तहत भी मुकदमा दर्ज कर सकती है उसकी त्वरित गिरफ्तारी कर उससे देश के बाहर गैर कानूनी तरीके से पैसे भेजने, हथियारों की डील करने और आतंकवादियों को मदद पहुंचाने जैसे मामले पर पूरी जानकारी इकट्ठा करती और उसके आधार पर ठोस कार्यवाही करती।

लेकिन आश्चर्यजनक बात यह रही कि इतने ठोस सबूत के बावजूद सरकार ने हसन अली खान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। आयकर विभाग ने बेहद औपचारिक तरीके से स्विस सरकार को एक पत्र भेजा जिसमें सिर्फ यह लिखा गया था कि– ''हसन अली खान ने अपनी आय के बारे में कोई जानकारी भारत में नहीं दी है, उसने आयकर अदा नहीं किया है।'' कानून के किसी भी जानकार को आयकर विभाग का यह पत्र बेहद बचकाना लगेगा।

क्योंकि सब जानते हैं कि स्विस बैंक में या स्विटजरलैण्ड में जमा पर कोई कर नहीं है बल्कि कर के मामले में स्वर्ग देशों की सूची में रखा जाता है। स्विस सरकार ने आयकर विभाग के इस पत्र को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा कि स्विस कानून के दायरे में टैक्स रिटर्न नहीं भरना और कर नहीं चुकाना कोई गैर कानूनी काम नहीं, हद तो तब हुई जब स्विस बैंक ने आयकर विभाग के इस पत्र को ही जाली करार दिया।

इसे हास्यास्पद नहीं तो क्या कहेंगे कि इसी प्रवर्तन निदेशालय ने 2 साल बाद खान को एक नोटिस जारी कर यह कहा कि वह स्विस बैंक में जमा 8.4 अरब डॉलर ब्याज समेत जमा करें। अब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी अफसोस जारी करते हुए कहते हैं कि खान के स्विस बैंक खाते में अब कोई पैसा नहीं है। क्वात्रोच्चि की तरह खान भी पैसे लेकर चम्पत हो गया और भारत सरकार खामोश देखती रही।

हसन अली खान पर अब फर्जी पासपोर्ट रखने का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके पास से तीन फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए थे। इस समय उसका कोई अता–पता नहीं लेकिन भाजपा के कार्यबल की माने तो पुलिस के पास एक ऐसी वीडियो फिल्म मौजूद है जिसमें पूछताछ के दौरान हसन अली खान ने स्वीकार किया था कि उसके कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री के साथ बहुत नजदीकी ताल्लुकात हैं। वह कांग्रेस के एक बड़े नेता और महाराष्ट्र के गृहमंत्री से भी मिल चुका है।

कांग्रेस चाहे तो यह दलील दे सकती है कि भाजपा द्वारा गठित कार्यबल की कोई विश्वसनीयता नहीं है इसलिये उसके द्वारा किसी खुलासे का कोई मतलब भी नहीं है लेकिन कांग्रेस के लिये ऐसा करना बहुत आसान भी नहीं है क्योंकि भाजपा के इस कार्यबल में कोई सामान्य राजनेता नहीं बल्कि अपने–अपने क्षेत्र के महारथी शामिल हैं। जिनमें – प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउटेंट एस. गुरूमूर्ति, आई.बी.के. पूर्व निदेशक अजीत डोहाल, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आर. वैद्यनाथन और जाने–माने अधिवक्ता महेश जेठमलानी का नाम शामिल है।

क्या यह खुलासा भारतीय राजनीति में भूचाल ला सकता है, यह आने वाला समय ही बतायेगा लेकिन इस रिपोर्ट से यह तथ्य सामने तो आता है कि कांग्रेस काले धन को भारत लाने के मुद्दे पर सहमी नजर आ रही है। ❑

महंगाई की मूल जड़ भ्रष्टाचार

सरकार का कहना है कि गरीबों के पास ज्यादा पैसे आने से उनकी खुराक बढ़ गई है। इसलिए खाने–पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार के इस तर्क को मानें तो आय किसकी बढ़ी है? महंगाई की मौजूदा दर को जोड़ दें तो आम आदमी का वेतन स्थिर होने के साथ ही उसकी क्रयशक्ति घटी है. . .सरकार ने जानबूझकर ऐसी नीति बनाई जिससे व्यापारियों को कई गुना मुनाफा हुआ, जबकि बाजार में चीनी महंगी होती गई और किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिला।

■ बलवीर पुंज

लखनऊ में महंगाई के संदर्भ में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने जो कहा उससे कम से कम यह निष्कर्ष तो निकलता ही है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति होती तो पिछले कुछ सालों से महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत मिल सकती थी। राहुल गांधी ने कहा है कि गठबंधन सरकार के कारण महंगाई को रोक पाना कठिन हुआ। उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी के जमाने में महंगाई पर काबू रखने के परिप्रेक्ष्य में यह कहा कि तब एक पार्टी का राज था। राहुल को संभवतः यह पता नहीं है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ था और तब गली–गली में यह नारा गूंजता था–देखो यह इंदिरा का खेल, खा गई राशन, पी गई तेल।

वास्तव में भ्रष्टाचार और महंगाई में चोली–दामन का साथ है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने विगत दिसंबर माह तक महंगाई पर पूर्ण काबू पा लेने का दावा किया था, किंतु वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। मुद्रास्फीति की वर्तमान दर 8.5 प्रतिशत होने के बावजूद यदि महंगाई की दर 18 प्रतिशत तक पहुंच गई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विगत दिनों महंगाई पर चर्चा करने बैठी मनमोहन सिंह की टीम ने इसके लिए गरीबों के पेट को कसूरवार बताया।

सरकार का कहना है कि गरीबों के पास ज्यादा पैसे आने से उनकी खुराक बढ़ गई है। इसलिए खाने–पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार के इस तर्क को मानें तो आय किसकी बढ़ी है? महंगाई की मौजूदा दर को जोड़ दें तो आम आदमी का वेतन स्थिर होने के साथ ही उसकी क्रयशक्ति घटी है। रुपयों में आय बढ़ने का क्या मोल, जब वास्तविक क्रयशक्ति में बढ़ोतरी न हो? आय बढ़ी है तो कुछ हजार लोगों की, जो सत्तातंत्र का हिस्सा हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी प्याज की कीमतें आम आदमी को रुला रही हैं। इससे पहले दाल और चीनी की कीमतों ने आम आदमी को बेदम कर रखा था।

पेट्रोल–डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के बाद से तेल कंपनियों ने चार बार कीमतें बढ़ाई हैं। पेट्रोल–डीजल के दामों में बढ़ोतरी का बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। दूध के दामों में निरंतर वृद्धि समझ से परे है। दुग्ध उत्पादन में चार प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद पिछले चार सालों में दूध के दामों में सौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगले दो सालों में सौ फीसदी बढ़ोतरी का अंदेशा है। वह दिन दूर नहीं, जब दूध 50 रुपये प्रति लीटर

वास्तव में भ्रष्टाचार और महंगाई में चोली–दामन का साथ है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने विगत दिसंबर माह तक महंगाई पर पूर्ण काबू पा लेने का दावा किया था, किंतु वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही।

बिकेगा।

वर्ष 2006 में घी 160 रुपये प्रति किलो उपलब्ध था। आज उसकी कीमत 266 रुपये प्रति किलोग्राम है। दुग्ध उत्पादकों ने चारे की कीमतों में वृद्धि को मूल्यवृद्धि का कारण बताया है। जिस देश के नेता पशुओं का चारा खा जाते हों, वहां इस अतार्किक मूल्यवृद्धि पर आश्चर्य कैसा? उचित भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल लाखों टन अनाज, फल और सब्जियां सड़ जाती हैं। हर साल 58 हजार करोड़ रुपये का अनाज बर्बाद होने की बात स्वयं सरकार ने स्वीकार की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए सरकार को गरीबों के बीच अनाजों के मुफ्त वितरण का निर्देश दिया था, किंतु सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। यह आम आदमी की हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेसी सरकार की कहानी है। इस सरकार के कार्यकाल में गेहूं, चीनी, दाल और चावल के घोटाले हुए। इस सरकार ने राहत के नाम पर भेजी जाने वाली सहायता में भी घपलेबाजी करने से गुरेज नहीं किया।

पंजाब सरकार की आटा–दाल योजना को विफल करने के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त खाद्यान्न देने से मना कर दिया था। सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक नहीं होने का बहाना किया गया, जबकि केंद्र सरकार तब कथित रूप से दो रुपये किलो की दर से चावल का निर्यात अफ्रीकी देशों को कर रही थी। हकीकत यह है कि यह चावल पीड़ित देशों को न भेजकर विदेशों में अधिक दरों पर बेचा गया। लगभग 2500 करोड़ रुपये इस घोटाले में लिप्त भ्रष्ट राजनेताओं, व्यापारियों और अधिकारियों की जेब में काली कमाई के रूप में गए। पिछले साल चीनी की बेतहाशा बढ़ी कीमतों ने संप्रग सरकार की संवेदनहीनता को ही रेखांकित किया था। सरकार ने जानबूझकर ऐसी नीति बनाई जिससे व्यापारियों को कई गुना मुनाफा हुआ, जबकि बाजार में चीनी महंगी होती गई और किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिला।

पिछले साल गन्ने की सामान्य उपज होने के बावजूद सरकार ने 48,000 टन चीनी निर्यात करने का आदेश जारी कर दिया। यह निर्यात 12 रुपए प्रति किलो की दर से किया गया। घरेलू बाजार में किल्लत पैदा होने पर छह महीने के अंदर ही सरकार ने चीनी आयात का फैसला किया। इस बार चीनी का आयात 27 रुपए प्रति किलो की दर से किया गया। सरकारी स्तर पर की गई इस लूटखसोट के कारण ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है।

संप्रग सरकार की दूसरी पारी में घोटालों की झड़ी लग गई। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल, आदर्श सोसाइटी, सत्यम, एलआइसी हाउसिंग घोटाला आदि ऐसे ही घोटाले हैं जिनके कारण राजकोष को लाखों करोड़ का चूना लगा। कैग की रिपोर्ट के अनुसार स्पेक्ट्रम आवंटन में प्रावधानों की अनदेखी किए जाने के कारण एक लाख 76 हजार करोड़ रुपयों की हानि हुई। राष्ट्रमंडल खेलों पर 87 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

खेलों के लिए 2005–06 का केंद्रीय बजट 45.50 करोड़ रुपये था, जो 2009–10 में बढ़कर 2,883 करोड़ रुपये हो गया। यह 6,235 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। बाजार में मुद्रा की आवक अधिक होने के कारण महंगाई बढ़ी है, यह आंशिक सत्य है। यथार्थ में यह मुद्रा भ्रष्टाचार से अर्जित हुई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना–मनरेगा कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। इस सरकार ने राजमार्ग आदि आधारभूत संरचनाओं की अनदेखी की।

परिणामस्वरूप जो कार्य सन 2007 में खत्म होने थे उनका 2012 तक समापन संभव नहीं लगता। एक ओर उत्पादकता कम हो रही है तो मंद गति से काम चलने के कारण लागत बढ़ती जा रही है। भ्रष्ट नेता और ठेकेदार काली कमाई कर रहे हैं। यह कमाई मुद्रा के रूप में बाजार में उपलब्ध सीमित उत्पादन की मांग को बढ़ाती है। 2जी स्पेक्ट्रम मामले में अपनी सफाई में प्रधानमंत्री ने कहा है कि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने उनके निर्देशों की अनदेखी की। उनकी नाक के नीचे घोटाला होता रहा और वह देखते रहे। वह ऐसी सरकार के प्रमुख हैं जो आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है। वास्तव में भ्रष्टाचार महंगाई का पर्याय ही है। ❑

सवाल

काले धन के सामने कमजोर क्यों?

अमेरिका ने कठोर कानून बनाकर इस माफिया से अपने राष्ट्रहित की सुरक्षा तो कर ली लेकिन उसने इस माफिया को सुरक्षित ही छोड़ दिया। भारत तो अपने राष्ट्रहित की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है। भारत चाहे तो वह अमेरिका से भी अधिक उग्र भूमिका निभा सकता है। अपने आप को सूचना तकनीक की महाशक्ति मानने वाला भारत इन अवैध अंतरराष्ट्रीय खातों का भंडाफोड़ क्यों नहीं करता? अपने खाताधारियों की सूचना पाने के लिए उसे पिद्दी–से राष्ट्रों के आगे गिड़गिड़ाना क्यों पड़ रहा है?

■ डा. वेदप्रताप भारती

यदि यह पैसा वापस आ जाए तो अगले 10 साल तक भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यदि यह सरकार हमारा पैसा वापस नहीं लाती है तो अब भारत के नागरिकों को चाहिए कि वे सरकार को टैक्स देना बंद कर दे। वैसी ही सिविल नाफरमानी शुरू कर दें जैसे गांधीजी ने अंग्रेजों के विरूद्ध की थी। साफ पता चल जाएगा कि यह सरकार भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी है या विदेशों की भ्रष्ट सरकारों के प्रति!

स्विस बैंकों में भारत का कितना धन जमा है ? विभिन्न रपटों के मुताबिक यह लगभग 70 लाख करोड़ रुपए है। यह इतनी बड़ी राशि है कि साधारण आदमी इसका हिसाब ही नहीं लगा सकता लेकिन इसे समझने का एक दूसरा तरीका भी है।

अगर हम यह कहें तो बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि यदि इस राशि को भारत के गरीबों में बांट दें तो एक ही रात में 70 करोड़ गरीब लोग लखपति बन जाएंगे। जो आदमी 20 रुपए रोज पर गुजारा कर रहा है, उसके हाथ में एक लाख रुपए आ जाए तो वह क्या नहीं कर सकता? क्या वह भूखा मरेगा? क्या वह ठंड से ठिठुर कर जान देगा? क्या वह बिना दवाई के दम तोड़ने को मजबूर होगा? क्या वह भीख मांगेगा? क्या वह आत्महत्या करेगा?

भारत के 30–35 करोड़ लोग तो यों ही खुशहाल हैं। वे मध्यम वर्ग के हैं। रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा और चिकित्सा उन्हें सुलभ है। यदि स्विस बैंकों से हमारा पैसा वापस आ जाए तो क्या पूरा भारत स्वर्ग नहीं बन जाएगा?

हमारा पैसा सिर्फ स्विस बैंकों में ही नहीं है। यह दुनिया के अन्य लगभग 70 देशों के बैंकों में छिपाकर रखा गया है। इनमें से कई राष्ट्र तो दिल्ली के कुछ मौहल्लों से भी छोटे हैं लेकिन उन्होंने भारत जैसे विशाल राष्ट्रों की पूंजी को अपना बंधक बना रखा है।

दुनिया के अनेक देश तो इस काले धन को सहजने के कारण ही जिंदा है। लिश्टेन्सटाइन, मोनेको, दुबई, वर्जिन आइलैंड, केमेन आइलैंड आदि में अरबों–खरबों रूपया छिपाकर रखा जाता है। इस छिपे हुए कुल धन की राशि लगभग 12 हजार बिलियन डॉलर मानी जाती है। यह विश्व राशि है। अकेले स्विटजरलैंड में जो काला धन जमा है,

उसमें भारत सबसे आगे है। रूस के 470 बिलियन, उक्रेन के 100 बिलियन, चीन के 96 बिलियन और अकेले भारत के 1456 बिलियन डॉलर जमा है। यानि ये सब मिलकर भी भारत के बराबर नहीं हैं। दुनिया की कुल धनराशि का 57 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ 1 प्रतिशत लोगों की अंटी में जमा है। ये ही लोग इस धन को इन गोपनीय खातों में जमा करते हैं।

यह पैसा हमेशा व्यापार से नहीं कमाया जाता। इसमें से ज्यादातर पैसा तस्करी, रिश्वत, ब्लैकमेलिंग, लूट, चोरी, दलाली और धांधली का होता है। व्यापार से कमाया हुआ पैसा इन बैंकों में इसलिए जमा किया जाता है कि उस पर टैक्स न देना पड़े लेकिन ऐसा पैसा कितना होता है? इसके बावजूद स्विस बैंक सारे पैसे का टैक्स–बचत का पैसा मानकर चलती है यानि उसे वह अपराध नहीं मानती।

भारत सरकार भी उसे शायद अपराध नहीं मानती। इसीलिए उसने स्विटरजरलैंड के उस लचर–पचर समझौते पर दस्तखत कर दिए, जो सिर्फ टैक्स–चोरी के मामले में मदद करने का आश्वासन देता है। इस समझौते का नाम है, ''दोहरे कराधान से बचाव का समझौता''। याने टैक्स–चोरों को पूर्ण संरक्षण। कितनी मजेदार बात है कि टैक्स–चोरों को दो–दो बार टैक्स न भरना पड़ जाए, इसकी चिंता भारत सरकार को है। ऐसी सरकार उन्हें पकड़कर कानून के हवाले क्यों करेगी?

जर्मनी से हुई संधि में भारत सरकार ने कर–चोरों के नाम छुपाए रखने का भी वादा किया हुआ है। याने सबसे पहले तो अपराधियों को अपराधी कहने में भारत सरकार को वही झिझक है, जो इन बैंकों को है। ऐसा करने से इन बैंकों को लाखों–करोड़ों डॉलर का फायदा होता है

लेकिन भारत सरकार को क्या फायदा है? भारत सरकार इस मिलीभगत में शामिल क्यों दिखाई पड़ रही है ? हमारे उच्चतम न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि 'हमारी राष्ट्रीय संपत्ति की लूट मची हुई है और सरकार अंतरराष्ट्रीय संधियों की रट लगाए हुए है।'

आज हमें यह तय करना है कि इस देश का शासन कौन चलाएगा ? अंतरराष्ट्रीय समझौते चलाएंगे या भारत की संसद चलाएगी ? भारत सार्वभौम राष्ट्र है या नहीं? यदि है तो उस पर कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता कैसे थोपा जा सकता है? अपने राष्ट्रहित की रक्षा के लिए कमजोर राष्ट्र भी युद्ध की घोषणा कर देते हैं लेकिन हम 'दोहरा कराधान समझौता' भंग करने से भी डर रहे हैं। यदि हमने समझौता भंग कर दिया तो क्या होगा ?

जर्मनी ने हमें जो 26 नाम दिए हैं, उसके बाद वह नए नाम नहीं देगा। उसे मत देने दें। यदि भारत सरकार देश के अंदर ही काले धन के विरूद्ध पेंच कसकर घुमा दें तो विदेशी बैकों के खाताधारियों के नाम टपाटप टपकने लगेंगे। यदि अंतरराष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना भारतीय संसद परमाणु हर्जाना कानून पास कर सकती है तो काले धन की वापसी का कठोर कानून क्यों नहीं पास कर सकती?

भारत सरकार का कुल सालाना टैक्स संग्रह 7–8 लाख हजार रूपए होता है। इसका 10–12 गुना विदेशी बैकों में पड़ा हुआ है। यदि यह पैसा वापस आ जाए तो अगले 10 साल तक भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यदि यह सरकार हमारा पैसा वापस नहीं लाती है तो अब भारत के नागरिकों को चाहिए कि वे सरकार को टैक्स देना बंद कर दे। वैसी ही सिविल नाफरमानी शुरू कर दें जैसे गांधीजी ने अंग्रेजों के विरूद्ध की थी। साफ पता चल जाएगा कि यह सरकार भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी है या विदेशों की भ्रष्ट सरकारों के प्रति!

भारत स्विस सरकार से यह क्यों नहीं कह सकता कि अगर वह सभी गुप्त भारतीय खाताधारियों के नाम नहीं बताएगी और सारा पैसा भारत नहीं भेजेगी तो भारत उससे अपने राजनयिक संबंध भंग कर देगा? इतना ही नहीं, वह संयुक्तराष्ट्र तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्विट्जरलैंड को 'विश्व–शत्रु' राष्ट्र घोषित करवाएगा,

ऐसा राष्ट्र जो संसार के वित्तीय अपराधों का सबसे घृणित गढ़ है।

संयुक्तराष्ट्र ने 2003 में काले धन संबंधी जो भ्रष्टाचार–विरोधी प्रस्ताव पारित किया था, उस पर भारत समेत 140 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। वे सब देश भारत का समर्थन करेंगे लेकिन अफसोस यह है कि भारत सरकार ने अभी तक उस समझौते का पुष्टिकरण नहीं किया है। भारत को चाहिए कि वह सारी दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था के शुद्धिकरण का अभियान चलाए।

दुनिया के बैकों में छिपाया गया पैसा क्या वहां उसी तरह चुपचाप पड़ा रहता है जैसे जमीन में गड़ा हुआ धन? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह पैसा तस्करी, आतंकवाद और रिश्वतखोरी के काम आता है। यह वही पैसा है, जो हमारे चुनावों को भ्रष्ट करता है। जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंदर से खोखला करता है। इस पैसे के दम पर ही दुनिया के तानाशाह अपना सीना ताने रहते हैं।

यह कितनी विडंबना है कि लोकतंत्र और मानवीय मूल्यों की दुहाई देनेवाले पश्चिमी राष्ट्र दुनिया के चोरों और लुटेरों के शरण–स्थल बन गए हैं। ये लोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली माफिया हैं। अमेरिका ने कठोर कानून बनाकर इस माफिया से अपने राष्ट्रहित की सुरक्षा तो कर ली लेकिन उसने इस माफिया को सुरक्षित ही छोड़ दिया। भारत तो अपने राष्ट्रहित की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है।

भारत चाहे तो वह अमेरिका से भी अधिक उग्र भूमिका निभा सकता है। अपने आप को सूचना तकनीक की महाशक्ति मानने वाला भारत इन अवैध अंतरराष्ट्रीय खातों का भंडाफोड़ क्यों नहीं करता? अपने खाताधारियों की सूचना पाने के लिए उसे पिद्दी–से राष्ट्रों के आगे गिड़गिड़ाना क्यों पड़ रहा है?

भारत सरकार ने पूंजी पलायन के विरूद्ध 2003 में कानून बनाया और 2005 में उसे लागू कर दिया। फिर भी वह संकोचग्रस्त मालूम पड़ती है। आखिर क्यों? उसे पता है कि हर साल लगभग 80 हजार भारतीय लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं और उनमें से 25 हजार कई बार जाते हैं। इन लोगों पर कड़ी निगरानी क्यों नहीं रखी जाती ?

संदेहास्पद लोगों को भारत में गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता ? उनकी चल–अचल संपत्ति जब्त क्यों नहीं की जाती ? उनकी नागरिकता समाप्त क्यों नही की जाती ? उन्हें मजबूर क्यों नहीं किया जाता कि वे सारी संपत्ति वापस लाएं ? उनके नाम बताए बिना भी सरकार सारा काम कर सकती है। यदि यह सरकार असीमानंद और नीरा राडिया के टेप लीक कर सकती है तो इन लुटेरे खाताधारियों के नाम क्यों नहीं लीक कर सकती ? क्या इनसे उसकी कोई मधुर रिश्तेदारी है ? लेकिन सरकार की घिग्घी बंधी हुई लगती है। आखिर क्यों ?

इसका मूल कारण हमारे भ्रष्ट नेता और अफसर हैं। वे अपने काले धन को उजागर क्यों होने देंगे? वह व्यापार का नहीं, रिश्वत और ब्लैकमेल का पैसा है। तस्करों और आतंकवादियों से सांठ–गांठ का पैसा है! हथियारों की दलाली का पैसा है! इस पैसे को बाहर नहीं निकलवाकर कांग्रेस अपनी कब्र खुद खोद रही है।

कांग्रेस जैसी महान पार्टी का कितना दुर्भाग्य है कि आज उसके पास चंद्रशेखर और कृष्णकांत जैसे युवा तर्क नहीं हैं। देश का हर दल मांग कर रहा है कि यह पैसा वापस लाओ लेकिन इस मुद्दे पर अकेली कांग्रेस चुपचाप दिखाई पड़ रही है। इसका अर्थ लोग क्या लगाएंगे? दाल में कुछ काला जरूर है। यह काला धन ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। वास्तव में यह देश–द्रोह है। यदि कांग्रेस सरकार ने इसके विरूद्ध निर्मम कार्रवाई नहीं की तो अगले चुनाव के बाद वह खुद ही अपने आप को किसी स्विस लॉकर में बंद हुआ पाएगी।

अभी भी ढिलाई दिखाकर सरकार ने कर–चोरों के लिए काफी चोर–दरवाजे खोल दिए हैं। स्विस–बैंकों और भारतीय खाताधारियों को उसने तिकड़म की छूट दे दी है लेकिन अब भी वह चाहे तो खुद को कलंकित होने से बचा सकती है। भारत सरकार के लिए क्या यह काफी शर्म की बात नहीं होगी कि अगले कुछ हफ्तों में 'विकीलीक्स' के मालिक जूलियन असांज कुछ भारतीय नामों को उजागर कर देंगे? उनके पास 2000 गुप्त खातों की सीडी पहुंच चुकी है। भारत का हर नागरिक इन खाताधारियों का भंडाफोड़ चाहता है। यदि असांज ने वैसा कर दिया तो असांज के मुकाबले हमारे प्रधानमंत्री की हैसियत क्या रह जाएगी? ❑

दुनिया के बैकों में छिपाया गया पैसा क्या वहां उसी तरह चुपचाप पड़ा रहता है जैसे जमीन में गड़ा हुआ धन? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह पैसा तस्करी, आतंकवाद और रिश्वतखोरी के काम आता है। यह वही पैसा है, जो हमारे चुनावों को भ्रष्ट करता है। जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंदर से खोखला करता है। इस पैसे के दम पर ही दुनिया के तानाशाह अपना सीना ताने रहते हैं।

नेता और व्यापारी के कार्य विभाजन से रूकेगा भ्रष्टाचार

हमने गलती की है कि हर व्यक्ति को दो या अधिक वर्णों को अपनाने की छूट दे दी है। साधु साबुन और शीतल पेय की फैक्ट्री को चला रहे हैं और संन्यासी चुनाव लड़ रहे हैं। नेताजी कार की फैक्ट्री, होटल तथा बिजली के संयंत्र लगा रहे हैं। व्यापारी महोदय चुनाव लड़ते हैं। परिणाम यह है कि हर व्यक्ति झंझट में फंस रहा है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

समाज में भ्रष्टाचार सदैव विद्यमान रहा है। सत्ताधारी की सहज प्रवृत्ति अपने पद का दुरूपयोग करने की होती ही है। जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें व्यक्ति को भ्रष्ट आचराण का प्रोत्साहन न दिया जाये। हमारी समाज व्यवस्था में यह उद्देश्य कार्य के विभाजन से हासिल किया गया था। जनता को चार वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। जिनका जीवन उद्देश्य भोग का था उन्हे शूद्र कहा गया। इसी प्रकार जिनका उद्देश्य धन, सत्ता तथा ज्ञान अर्जित करने का था उन्हें क्रमशः व्यापारी, नेता और साधू कहा गया।

हर वर्ग के लिये दूसरे वर्ग के कार्य को करना वर्जित था। सामाजिक मान्यता थी कि नेता को व्यापार नहीं करना चाहिये। इस मान्यता के चलते नेताओं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कम किया जाता था। इस मान्यता के नष्ट हो जाने के कारण आज तमाम नेता अपने परिजनों के माध्यम से व्यापार में लिप्त हैं और पद का दुरूपयोग धन कमाने में कर रहे हैं।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का गुण है कि हर व्यक्ति को अपना पेशा निर्धारित करने की स्वतंत्रता होती है कि वह साधु, नेता, व्यापारी अथवा सेवक बने। हर व्यक्ति सुख की कामना करता है। अतः व्यक्ति को जिस पेशे में सुख प्राप्त हो उस पेशे को अपनाने की छूट होनी ही चाहिये। हमारी रूढ़िवादी जाति व्यवस्था की यह एक मौलिक त्रुटि थी जिसे संविधान में समाप्त कर दिया गया है।

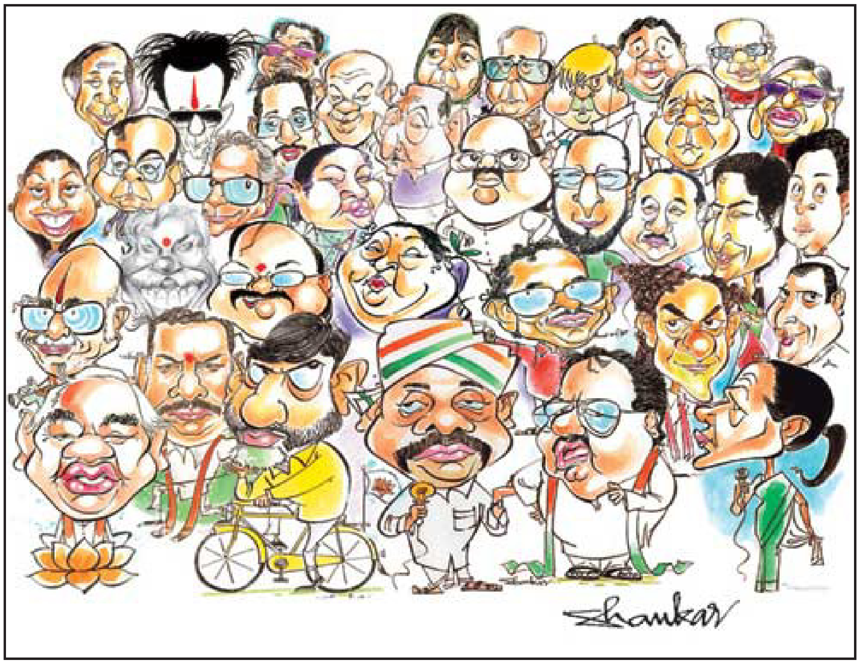

हर वर्ग के लिये दूसरे वर्ग के कार्य को करना वर्जित था। सामाजिक मान्यता थी कि नेता को व्यापार नहीं करना चाहिये। इस मान्यता के चलते नेताओं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कम किया जाता था। इस मान्यता के नष्ट हो जाने के कारण आज तमाम नेता अपने परिजनों के माध्यम से व्यापार में लिप्त हैं और पद का दुरूपयोग धन कमाने में कर रहे हैं।

ब्राह्मण कुल में जन्मे की इच्छा यदि भोग विलास की हो तो उसके लिये जप, तप और उपवास कष्टप्रद हो जाता है। ब्राह्मण का बेटा दूसरे की सेवा करते हुये शूद्र धर्म अपनाये अथवा चमार की बेटी राजनीति करे दोनों ही अच्छी बात है। ऐसे में इन्हें अपनी इच्छानुकूल कार्य मिल जायेगा। परन्तु पेशे की स्वतंत्रता और पेशे के घालमेल में अन्तर है।

विषय है कि व्यक्ति को नेता और व्यापारी की भूमिका साथ–साथ अपनानी चाहिये या नहीं?

नेता और व्यापारी के धर्म में अंतर्विरोध रहता है। नेता की कमाई जनता का समर्थन होता है जबकि व्यापारी की कमाई जनता के शोषण से होती है। भूमि आवंटन से हुयी बदनामी से व्यापारी नहीं घबराता है चूंकि उसे सद्नामी और बदनामी से कोई सरोकार नहीं होता है। सेठ गिरवी रखी ज्वेलरी को निर्ममता से हथिया लेता है। उसे समाज में कसाई आदि संज्ञा से विभूषित किया जाता है परन्तु उसके कान पर जूं नहीं रेंगती है।

उसके चाल ढाल में अंतर नहीं आता है चूंकि जन भावना से उसे सरोकार कम ही होता है। यदि नेताजी सेठ का रोजगार करें तो परस्पर अंतर्विरोध हो जायेगा। यदि वे अपने नेता के धर्म को अपनाते हैं और नरम व्यवहार रखते हैं तो व्यापार चौपट हो जायेगा। इसके विपरीत यदि वे सेठ का धर्म अपनाते हैं और निर्मम व्यवहार करते हैं तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। अतः नेता को सेठजी का पेशा नहीं अपनाना चाहिये और सेठजी को नेता का।

नेता के लिये अपनी जुबान की कोई वैल्यू नहीं होती है। अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि दो बलवान राजाओं से घिरे होने पर कमजोर राजा दोनों के साथ संधि करे। फिर उन्हें एक दूसरे के प्रति भड़काये। उनका आपसी वैर होने पर दोनों को अलग–अलग परास्त करे। स्पष्ट है कि नेता के लिये मुख से बोले गये मैत्री के शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है। इसके विपरीत व्यापारी अपनी बात नहीं हारता है चूंकि वचनबद्धता से ही उसकी साख बनती है और व्यापार बढ़ता है।

व्यापार करने वाले नेताजी यदि वचनबद्ध हो जायेंगे तो बलवान प्रतिद्वंदी उनकी जड़ें खोद कर रख देंगे। और यदि वे वचन बदलेंगे तो उनकी व्यापारिक साख जाती रहेगी और घाटा खायेंगे।

इसी प्रकार नेता के लिये आश्रित की रक्षा करना धर्म है जबकि व्यापारी आश्रित का आर्थिक दोहन करता है। तात्पर्य यह कि नेता और व्यापारी की भूमिकाएं साथ–साथ सफलतापूर्वक निर्वाह नहीं की जा सकती हैं।

भूमिकाओं के अंतर्विरोध का यह संकट क्षत्रिय और वैश्य तक ही सीमित नहीं रहता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में चार वर्ण इसी आधार पर बनाये गये हैं। ब्राह्मण उसे कहा गया जो अंतिम सत्य को हासिल करना चाहता है। उसे राजा हरिशचंद्र जैसा सत्यवादी होना चाहिये। परन्तु यह आचरण क्षत्रिय धर्म के विपरीत है जैसा कि चाणक्य ने कहा है। अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय के कार्य एक साथ संपादित नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण के लिये अपरिग्रह ही धर्म बताया गया है। सत्य की खोज में धन बाधा होता है और चित्त को विचलित करता है। इसके विपरीत असंख्य धन कमाना ही वैश्य का धर्म होता है। अतः दोनों भूमिकाओं का निर्वाह एक साथ नहीं हो सकता है।

ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों

(शेष पृष्ठ 19 पर)

नेता और व्यापारी के धर्म में अंतर्विरोध रहता है। नेता की कमाई जनता का समर्थन होता है जबकि व्यापारी की कमाई जनता के शोषण से होती है। भूमि आवंटन से हुयी बदनामी से व्यापारी नहीं घबराता है चूंकि उसे सद्नामी और बदनामी से कोई सरोकार नहीं होता है। सेठ गिरवी रखी ज्वेलरी को निर्ममता से हथिया लेता है। उसे समाज में कसाई आदि संज्ञा से विभूषित किया जाता है परन्तु उसके कान पर जूं नहीं रेंगती है।

तबाही की तरफदारी में शामिल सरकारी तंत्र

अमेरिकी कृषि विभाग भी स्वीकार करता है कि जीएम मक्का और जीएम सोया की उत्पादकता सामान्य प्रजातियों से कम है। अगर जीएम फसलों की उत्पादकता सामान्य फसलों से भी कम है तो आश्चर्य है कि हमारे राजनेता जीएम फसलों से खाद्य सुरक्षा बढ़ने की बात क्यों कर रहे हैं. . .यहां तक कि बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो के खुद के अध्ययन भी बताते हैं कि इसके कारण यूरोप में चूहों को किडनी, लिवर, पैंक्रियाज और खून की गंभीर बीमारियां हो गई हैं। आस्ट्रिया में कुछ हालिया अध्ययनों से पता चला है कि जीएम फसलों से नपुंसकता भी होती है।

■ देविन्दर शर्मा

जैव संवर्द्धित (जीएम) फसलें एक बार फिर चर्चा में हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने अपनी पूर्ववर्ती नीति से पलटी मारकर अब सार्वजनिक रूप से जीएम फसलों को समर्थन देना शुरू कर दिया है। बहस गरमा रही है। यह उसी लाइन पर जा रही है, जिस पर शरद पवार जोर दे रहे हैं। इसमें हैरत की बात नहीं है। मैं देर–सबेर इसकी उम्मीद कर रहा था। आखिरकार, विकिलीक्स पहले ही खुलासा कर चुका है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन जीएम फसलों के पक्ष में राय व्यक्त कर चुके हैं।

> **विकिलीक्स के एक और खुलासे में, पेरिस में अमेरिकी दूतावास ने जीएम फसलों का विरोध कर रहे यूरोप के खिलाफ वाशिंगटन को सैन्य व्यापार युद्ध छेड़ने की सलाह दी थी। 2008 में अमेरिका और स्पेन ने यूरोप में खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने पर जीएम खाद्यान्न फसलों की आवश्यकता को उचित ठहराया था। यूरोप अब भी जीएम फसलों को स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐसे में केवल भारत ही निशाने पर है।**

विकिलीक्स के एक और खुलासे में, पेरिस में अमेरिकी दूतावास ने जीएम फसलों का विरोध कर रहे यूरोप के खिलाफ वाशिंगटन को सैन्य व्यापार युद्ध छेड़ने की सलाह दी थी। 2008 में अमेरिका और स्पेन ने यूरोप में खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने पर जीएम खाद्यान्न फसलों की आवश्यकता को उचित ठहराया था। यूरोप अब भी जीएम फसलों को स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐसे में केवल भारत ही निशाने पर है।

2010 के शुरू में भारत के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बीटी बैंगन के व्यावसायीकरण को स्थगित कर दिया था। इसके बाद भारत पर अमेरिका ने कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया था। बहुराष्ट्रीय बीज उद्योग ने तेजी से कदम उठाते हुए बड़ी संख्या में पत्रकारों को अमेरिका की शैक्षिक यात्रा कराई और भारत में भी जीएम फसलों के पक्ष में मीडिया अभियान छेड़ दिया। उसी समय, विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जीएम फसलों के पक्ष में राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने के प्रयास तेज कर दिए थे।

माकपा के दृष्टिकोण में बदलाव इन्हीं प्रयासों का नतीजा है। हमें कुछ ऐसे मुद्दों की पड़ताल करना बेहद जरूरी

है, जो जीएम फसलों को बढ़ावा देने के शोरशराबे में गुम हो गए हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण दलील यह दी जाती है कि एक अरब से अधिक की आबादी वाले देश का पेट जीएम फसलें ही भर सकती हैं। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सच्चाई इसके उलटी है। विश्व में कोई ऐसी जीएम फसल नहीं है, जो उत्पादकता को बढ़ा सके। वास्तव में, अधिकांश जीएम फसलों ने असलियत में उत्पादकता को घटाया ही है।

अमेरिकी कृषि विभाग भी स्वीकार करता है कि जीएम मक्का और जीएम सोया की उत्पादकता सामान्य प्रजातियों से कम है। अगर जीएम फसलों की उत्पादकता सामान्य फसलों से भी कम है तो आश्चर्य है कि हमारे राजनेता जीएम फसलों से खाद्य सुरक्षा बढ़ने की बात क्यों कर रहे हैं! सच्चाई यह है कि विश्व में खाद्यान्न की कमी ही नहीं है। पृथ्वी पर 6.5 अरब लोग रहते हैं, जबकि खाद्यान्न का उत्पादन 11.5 अरब लोगों के लिए हो रहा है। अगर विश्व में रोजाना एक अरब से अधिक लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं तो इसका कारण खाद्यान्न की अनुपलब्धता न होकर दोषपूर्ण वितरण प्रणाली है। यही बात भारत पर भी लागू होती है, जहां एक–तिहाई आबादी उपलब्ध भोजन खरीदने की स्थिति में नहीं है, जिसे गोदामों में चूहे चट कर रहे हैं।

अब तक विकसित करीब सभी जीएम फसलों की विशेषता कीटरोधी होना बताया जाता है। उदाहरण के लिए बीटी कॉटन पिंक बॉलवर्म जैसे कीटों के मारने के लिए विकसित की गई, जिससे कीटनाशकों का इस्तेमाल घट जाए। यह लंबे समय तक सही सिद्ध नहीं हुआ। चीन में, बीटी कॉटन उगाने वाले किसान

सच्चाई यह है कि विश्व में खाद्यान्न की कमी ही नहीं है। पृथ्वी पर 6.5 अरब लोग रहते हैं, जबकि खाद्यान्न का उत्पादन 11.5 अरब लोगों के लिए हो रहा है। अगर विश्व में रोजाना एक अरब से अधिक लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं तो इसका कारण खाद्यान्न की अनुपलब्धता न होकर दोषपूर्ण वितरण प्रणाली है।

अब दस फीसदी अधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में भी, बीटी कॉटन की पैदावार में अधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल होने लगा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, नागपुर की रिपोर्ट के अनुसार, 2006 में, 640 करोड़ रुपये के कीटनाशकों का कॉटन पर छिड़काव किया गया। 2008 में यह राशि 800 करोड़ से अधिक हो गई। यहां तक कि अमेरिका में भी, जहां जीएम फसलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, कीटनाशकों पर खर्च 30 करोड़ डॉलर बढ़ गया है। जीएम फसलें अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में जहरीले तत्व छोड़ती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शोध के अनुसार इससे मिट्टी के लिए लाभदायक माइक्रोफ्लोरा को नुकसान पहुंचता है। किसानों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं कि बीटी कॉटन की हर अगली पैदावार पहले से कम हो रही है।

इसके अलावा आंध्र प्रदेश और हरियाणा में बीटी फसल की पत्तियां खाने से पशु मर रहे हैं। आंध्र प्रदेश पशुपालन विभाग ने किसानों को चेतावनी जारी की है कि वे पशुओं को बीटी कॉटन के खेत में न चरने दें। जीएम फसल कुछ ऐसे कीट (सुपरकीट) भी पैदा करती हैं, जो किसी भी कीटनाशक से नहीं मरते। अमेरिका में, 1.5 करोड़ एकड़ जमीन पर

सुपरकीट फैल चुके हैं। इन कीटों के फैलने से अमेरिका का जार्जिया प्रांत तेजी से बंजर होता जा रहा है। उत्तरी अमेरिका में कम से कम 30 सुपरकीट विकसित हो गए हैं, जो किसी भी रसायन से खत्म नहीं होते। दुनिया भर में अनेक उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि जीएम फसल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

यहां तक कि बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो के खुद के अध्ययन भी बताते हैं कि इसके कारण यूरोप में चूहों को किडनी, लिवर, पैंक्रियाज और खून की गंभीर बीमारियां हो गई हैं। आस्ट्रिया में कुछ हालिया अध्ययनों से पता चला है कि जीएम फसलों से नपुंसकता भी होती है। जिन भी वैज्ञानिकों ने जीएम फसलों के मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई है, उन्हें जीएम उद्योग के इशारे पर नौकरी से निकाल दिया गया। अगर हम लोगों के हाथ में नुकसानदायक प्रौद्योगिकी सौंप देंगे तो देर–सबेर विश्व की अप्राकृतिक मौत हो जाएगी।

उदाहरण के लिए सिगरेट के हर पैकेट पर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की चेतावनी छपी रहती है, फिर भी इसकी बिक्री बढ़ रही है। चूंकि यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है इसलिए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर इसके इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। क्या यह गलत फैसला है?

इसी प्रकार जीएम फसलों के इस्तेमाल करने या न करने का फैसला किसानों पर नहीं छोड़ा जा सकता। किसान ताकतवर कंपनियों के आक्रामक मार्केटिंग हथकंडों के जाल में फंस जाते हैं। पूरा सरकारी तंत्र, कृषि विश्वविद्यालय, कंपनियां और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जीएम फसलों को प्रोत्साहन देने में जुटा है। किसान इनका मुकाबला नहीं कर सकते। किसानों पर दोषपूर्ण प्रौद्योगिकियां थोपने पर वे पहले ही आत्महत्या कर रहे हैं। हत्यारी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल न रोक कर हम और कितने किसानों की हत्या करना चाहते हैं? ❑

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100 / –	1000 / –
अंग्रेजी	100 / –	1000 / –

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

पानी की राजनीति

तालाब, बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में, बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहां रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है। डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी और मानते रहे कि सब कुछ हमारे अनुकूल चलेगा, लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे है। इसकी सजा भुगतनी होगी।

■ अनुपम मिश्र

आज हर बात की तरह पानी का राजनीति भी चल निकली है। पानी तरल है, इसलिए उसकी राजनीति भी जरूरत से ज्यादा बहने लगी है। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, जिसे प्रकृति उसके लायक पानी न देती हो, लेकिन आज दो घरों, दो गांवों, दो शहरों, दो राज्यों और दो देशों के बीच भी पानी को लेकर एक न एक लड़ाई हर जगह मिलेगी।

मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार–चढ़ाव आता रहता है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि प्रकृति 'आईएसआई मार्का' तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी–चौथी कक्षा से हम सब जलचक्र पढ़ते थे। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वह 'नौतपा' के दिनों में कैसे आती है, कैसे मानसून की हवाएं बादलों को पश्चिम से, पूरब से उठाकर हिमालय तक लाकर जगह–जगह पानी गिराती हैं, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी, दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती। फिर भी आप पाएंगे कि एकरूपता बनी रहती है।

'आग लगने पर कुआं खोदना' पुरानी कहावत है। यही हम करते आ रहे हैं। प्यास लगती है, अकाल की आग लगती है, तो सरकार और समाज कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। कहावत में तो कुआं खोदने पर शायद पानी निकलता भी है पर सरकारी आयोजनों और योजनाओं में इस पानी का रंग कुछ और ही दिखता है।

पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है। इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। हमने विकास की दौड़ में सब जगह एक सी आदतों का संसार रच दिया है, पानी की एक जैसी खर्चीली मांग करने वाली जीवनशैली को आदर्श मान लिया है। अब सबको एक जैसी मात्रा में पानी चाहिए और जब नहीं मिल पाता तो हम सारा दोष प्रकृति पर, नदियों पर थोप देते हैं।

अब हमारे सामने नदियों को जोड़ने की योजना भी रखी गई है। देश के जिस भूगोल ने लाखों साल की मेहनत से इस कोने से उस कोने तक तरह–तरह से छोटी–बड़ी नदियां निकाली, अब हम उसे दोष दे रहे हैं और चाहते हैं कि एक नदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्यों नहीं बही? अभी भी करने लायक छोटे–छोटे कामों के बदले अरबों रुपए की योजनाओं पर बात हो रही है। इस गोद में कुछ ही पहले तक हजारों नदियां खेलती थीं, उन सबको सुखाकर अब हम

चार–पांच नदियों को जोड़कर उनका पानी यहां–वहां ले जाना चाहते हैं।

जल संकट प्रायः गर्मियों के दिनों में आता था, अब वर्ष भर बना रहता है। ठंड के दिनों में भी शहरों में लोग नल निचोड़ते मिल जाएंगे। राजनीतिक रूप से जो शहर थोड़े संपन्न और जागरूक हैं, उनकी जरूरत पूरी करने के लिए पानी पड़ोस से उधार भी लिया जाता है और कहीं–कहीं तो चोरी से खींच लिया जाता है लेकिन बाकी पूरा देश जलसंकट से उबर नहीं पाता।

हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे। लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे–सीधे सजा देगी।

इस बीच कुछ हजार करोड़ रुपए खर्च करके जलसंग्रह, पानी–रोको, जैसी कई योजनाएं सामने आई हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट अनेक सरकारों और सामाजिक संगठनों ने अपनाकर देखा है, लेकिन इसके खास परिणाम नहीं मिल पाए। शायद एक बड़ी गलती हमसे यह हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयंसिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ लाख साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते।

'आग लगने पर कुआं खोदना' पुरानी कहावत है। यही हम करते आ रहे हैं। प्यास लगती है, अकाल की आग लगती है, तो सरकार और समाज कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। कहावत में तो कुआं खोदने पर शायद पानी निकलता भी है पर सरकारी आयोजनों और योजनाओं में इस पानी का रंग कुछ और ही दिखता है।

सागर और बूंद

तालाब, बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में, बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहां रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है। डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी और मानते रहे कि सब कुछ हमारे अनुकूल चलेगा, लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे है। इसकी सजा भुगतनी होगी।

कभी पानी का प्रबंध और उसकी चिंता हमारे समाज के कर्तव्य–बोध के विशाल सागर की एक बूंद थी। सागर और बूंद एक दूसरे से जुड़े थे। बूंद अलग हो जाए तो न सागर रहे, न बूंद बचे। सात समुंदर पार से आए अंग्रेजों को न तो समाज के कर्तव्य–बोध का विशाल सागर दिख पाया, न उसकी बूंदे। उन्होंने अपने यहां के अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर यहां के राज में दस्तावेज जरूर खोजने की कोशिश की, लेकिन वैसे रिकार्ड राज में रखे नहीं जाते थे। इसलिए उन्होंने मान लिया कि यहां सारी व्यवस्था उन्हीं को करना है, यहां तो कुछ है ही नहीं।

पिछले दौर के अभ्यस्त हाथ अकुशल कारीगरों में बदल दिए गए। ऐसे बहुत से

लोग, जो गुनीजनखाना यानी गुणी माने गए जनों की सूची में थे, अनपढ़, असभ्य, अप्रशिक्षित माने जाने लगे।

निजीकरण नहीं अपनापन

हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे। लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे–सीधे सजा देगी।

आज यह सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है। पंजाब और हरियाणा सूखे राज्य नहीं माने जाते, लेकिन आज इनमें भी पानी के बंटवारे को लेकर राजनीतिक कड़वाहट दिख रही है। इसी तरह दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु में कोई कम पानी नहीं गिरता, लेकिन इन सभी जगहों पर किसानों ने पानी की अधिक मांग करने वाली फसलें बोई हैं और अब उनके हिस्से का पानी उनकी प्यास नहीं बुझा पा रहा।

ऐसे विवादों का जब राजनीतिक हल नहीं निकल पाएगा तो हमें ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। अदालत भी इसमें किसी एक के पक्ष में फैसला देगी तो दूसरे पक्ष में फैसला देगी तो दूसरे पक्ष को संतोष नहीं होगा। इसमें मुख्य समस्या प्यास की जरूरत की नहीं बची है और बनावटी प्यास और बनावटी जरूरत लंबे समय तक पूरी नहीं की जा सकेगी। कई बार जब अव्यवस्था बढ़ती जाती है, जन–नेतृत्व और सरकारी विभागों का निकम्मापन बढ़ने लगा है तो दुर्भाग्य से एक ही हल दिखता है – राष्ट्रीयकरण के बदले निजीकरण कर दो। यही हल अब पानी के मामले में भी आगे रखा जाने लगा है।

पहले हमारा समाज न राष्ट्रीयकरण जानता था और न निजीकरण। वह पानी का 'अपनाकरण' करता था। अपनत्व की भावना से उसका उपयोग करता था। जहां जितना उपलब्ध था, उतना खर्च करता था, इसलिए कम से कम पानी के मामले में, जब तक बहुत सोची–समझी योजनाएं फिर से सामने नहीं आएंगी, हम सब चुल्लू भर पानी में डूबते रहेंगे, लेकिन हमें शर्म नहीं आएगी। ❑

(पृष्ठ 13 का जारी. . .)

नेता और व्यापारी के कार्य विभाजन. . .

को अनेक प्रकार के जोखिम लेने होते हैं। ब्राह्मण को पता नहीं होता कि अगली भिक्षा कब और कहां मिलेगी। क्षत्रिय को पता नहीं होता कि शत्रु कब और कहां से आक्रमण कर देंगे। वैश्य के सम्मुख सदा नई कम्पनियों और उत्पादों के बाजार में प्रवेश का संकट बना रहता है। इनके विपरीत शूद्र सुरक्षित रहता है जैसे आईएएस अफसर के खाते में सात तारीख को वेतन जमा हो ही जाता है।

परंतु शूद्र के लिये सत्य की खोज, शक्ति का अर्जन अथवा धन का संग्रह तीनों ही कठिन होता है। जैसे आईएएस अफसर को नेता के इशारे पर गलत निर्णय लेने पड़ते हैं– वह सत्य का पालन नहीं कर सकता है। अथवा उसे मंत्रीजी के मन के अनुसार स्थानांतरित कर दिया जाता है और वह किसी एक स्थान पर अपनी पैठ नहीं बना पाता है। ली गई रिश्वत का भी वह खुल कर निवेश नहीं कर पाता है और कम ब्याज पर नम्बर दो में ही निवेश करना पड़ता है। इस प्रकार शूद्र के लिये सत्य, शक्ति अथवा धन दुर्लभ होता है।

इन अंतर्विरोध के कारण ही हमारे पूर्वजों ने चार वर्णों की व्यवस्था की थी। कहा था कि हर व्यक्ति को चार में से किसी एक वर्ण को अपनाना चाहिये और उस वर्ण के लिये उचित धर्म का पालन करना चाहिये।

हमने गलती की है कि हर व्यक्ति को दो या अधिक वर्णों को अपनाने की छूट दे दी है। साधु साबुन और शीतल पेय की फैक्ट्री को चला रहे हैं और संन्यासी चुनाव लड़ रहे हैं। नेताजी कार की फैक्ट्री, होटल तथा बिजली के संयंत्र लगा रहे हैं। व्यापारी महोदय चुनाव लड़ते हैं। परिणाम यह है कि हर व्यक्ति झंझट में फंस रहा है।

हमने नासमझी में वर्ण व्यवस्था को त्याग दिया है। दो परस्पर विरोधी इच्छाओं को साधने में सब नष्ट हो जाता है। वर्ण व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि व्यक्ति अपने मन में बैठी इच्छाओं को पहचाने और उन इच्छाओं के अनुकूल वर्ण के धर्म को अपनाये। यदि मन में परस्पर विरोधी इच्छायें बैठी हुयी हों तो उन्हें क्रम से पूरा करें। कभी भी दो वर्णों के धर्म को एक साथ न हीं अपनाना चाहिये। वर्णों का यह घालमेल वर्तमान भ्रष्टाचार के मूल में है। ❑

आबादी के बोझ तले शहर

सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि सारा विकास कुछ शहरों में केंद्रित करके हम छोटे शहरों को उनकी लघु कलाओं और लघु उद्योगों से वंचित कर रहे हैं और बड़े महानगरों की ओर पलायन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे एक सीमा के बाद बड़े दानवाकार महानगर भी अपने ही बोझ से दब जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हमें अपने छोटे शहरों की ओर ध्यान देना होगा।

■ निरंकार सिंह

देश के शहरों की आबादी अगले 20 सालों में दोगुनी हो जाएगी। इनके लिए आवास, यातायात, पानी, बिजली आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली में हुई अर्बन मोबिलिटी इंडिया कांफ्रेंस में विशेषज्ञों के अनुसार तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो गंभीर परिणाम होंगे। इस समय 34 करोड़ से ज्यादा आबादी देश के शहरों में रहती है, जो 2030 तक बढ़कर 60 करोड़ हो जाएगी। देश में 68 शहर ऐसे होंगे, जिनकी आबादी एक करोड़ से ऊपर होगी। इन शहरों की परिवहन और आवास समस्या के लिए अभी से उपाय नहीं किए गए तो उन्हें संभाल पाना मुश्किल होगा।

आज लगभग एक लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने परिवहन व्यवस्था में सुधार की अभी तक कोई ठोस योजना भी नहीं बनाई है। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की ताजी रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि यदि भारत मौजूदा नियोजित शहरी विकास के मार्ग पर चलता रहा तो उसके शहरों में लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आएगी।

आज लगभग एक लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने परिवहन व्यवस्था में सुधार की अभी तक कोई ठोस योजना भी नहीं बनाई है। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीटयूट की ताजी रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि यदि भारत मौजूदा नियोजित शहरी विकास के मार्ग पर चलता रहा तो उसके शहरों में लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आएगी। इससे मौजूदा विकास दर खतरे में पड़ सकती है। बुनियादी ढांचे की हालत बहुत खराब है और आधारभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इसका असर देश के समकेतिक और सतत विकास की प्रक्रिया पर भी पड़ेगा।

पहले भारत की कल्पना एक ऐसे देश के रूप में की जाती थी, जो दूर–दराज के क्षेत्रों, गांवों और खेतों में बसता था। लेकिन आजादी के बाद से धीरे–धीरे ही सही शहर रोजी–रोजगार के प्रमुख केंद्र भी बन गए। इसके बावजूद देश के राजनेताओं की शहरी विकास में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गरीब और बेरोजगार ग्रामीण जनता को शहरी चमक–दमक आकर्षित करती थी। जब खेती बदहाल होने लगी तो बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर शहर की ओर भागने लगे। शहरों में लोगों की बाढ़–सी आ गई और शहरी संसाधनों पर बोझ बढ़ता

आज देश के 5,545 शहरों, कस्बों और शहरी बस्तियों का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं की मारा–मारी न हो। शहरी विकास की योजनाएं दो तीन साल में जब तक बन कर तैयार होती हैं, तब तक वे खुद पुरानी पड़ जाती हैं और उनका उन उभरते शहरों से कोई वास्ता नहीं होता। उस समय तक शहर अव्यवस्थित ढंग से फैल चुका होता है।

गया। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास जो कभी बेहतरीन शहर माने जाते थे, उन्हें भी झोपड़पट्टियों की बढ़ती संख्या ने बदहाल कर दिया।

आज देश के 5,545 शहरों, कस्बों और शहरी बस्तियों का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं की मारा–मारी न हो। शहरी विकास की योजनाएं दो तीन साल में जब तक बनकर तैयार होती हैं, तब तक वे खुद पुरानी पड़ जाती हैं और उनका उन उभरते शहरों से कोई वास्ता नहीं होता। उस समय तक शहर अव्यवस्थित ढंग से फैल चुका होता है। सभी शहरों में सड़कें, फुटपाथ कई कई दिन तक खुदे पड़े रहते हैं, जिससे यातायात और पैदल चलने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहीं कोई देखने वाला नहीं है कि कहां क्या हो रहा है?

केंद्र सरकार ने तो शहरों के विकास की उपेक्षा की ही, लेकिन राज्य सरकारों ने भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके नगर निगमों का फायदा उठाया। राज्य सरकारों ने जमीनी राजनीति को ध्यान में रखते हुए नगर निगमों में अपने चेलों को नियुक्त किया और उन्हें काबू में रखने के लिए उनका बजट नियंत्रण में रखा। नगर निगमों की आय संपत्ति कर और चुंगी शुल्क तक सीमित है, जबकि राज्य सरकार बाकी कर अपनी आय में जोड़ती है। इससे बड़े शहरों की तिजोरियां खाली हो गई और उनके अधिकारी राज्य सरकारों के मोहताज हो गये। नगर निगमों की जवाबदेही नगर की जनता को नहीं, बल्कि सीधे सरकार को है। नगर निगमों और नगर निकायों के राजनैतिक हथियार हर स्तर पर सीमित कर दिए गए हैं।

शहरी विकास का प्रत्येक निर्णय राज्य सरकार जांचती है। यहां तक कि नए पदों की नियुक्तियों, बजट पास करने और संपत्ति की बिक्री से जुड़े छोटे–छोटे निर्णय भी वे खुद नहीं ले सकते। एक ओर जहां स्थानीय निकायों के पास अधिकार नहीं रहे, वहीं राज्य सरकार ने सारे अधिकार हथिया लिए, पर फिर भी वह नागरिकों की जवाबदेह नहीं है।

लेकिन शहर की आमदनी शक्तिशाली राजनेता और अधिकारी मिलकर बांट लेते हैं। इससे शहरी विकास अपारदर्शी और अव्यवस्थित हो जाता है। उधर, भूमाफिया और बिल्डर राजनेताओं से साठगांठ करके जमीनें हथिया कर बड़ी–बड़ी इमारतें और काम्प्लेक्स बना लेते हैं। नगरों के विकास की कहीं कोई सुनियोजित और पारदर्शी

शहर की आमदनी शक्तिशाली राजनेता और अधिकारी मिलकर बांट लेते हैं। इससे शहरी विकास अपारदर्शी और अव्यवस्थित हो जाता है। उधर, भूमाफिया और बिल्डर राजनेताओं से साठगांठ करके जमीनें हथिया कर बड़ी–बड़ी इमारतें और काम्प्लेक्स बना लेते हैं। नगरों के विकास की कहीं कोई सुनियोजित और पारदर्शी योजना नहीं है।

योजना नहीं है।

मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे बड़े–बड़े महानगरों से लेकर कानपुर, लखनऊ, आगरा, पटना, भोपाल आदि नगरों में बनी झोपड़पट्टियां शहरों की नाकामी की ही प्रतीक हैं। हमारे देश में झोपड़पट्टियों में रहने वाले 17 करोड़ लोगों की आबादी दुनिया के कम से कम पांच देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। इसका नतीजा है सार्वजनिक सेवाएं बदतर हो गई हैं। बड़े शहरों के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनीवल मिशन और छोटे एवं मझोले शहरों के लिए अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम 2005–06 में शुरू की थी। इस योजना के तहत पेयजल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व जल निकासी की 6554 करोड़ की स्वीकृत विभिन्न शहरों में कार्य किया जा रहा है और 2012 में इसकी समयावधि खत्म हो जाएगी।

इस योजना के लगभग पांच साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन शहरों की पेयजल और सीवरेज की व्यवस्था में कोई ठोस सुधार वाराणसी और कानपुर जैसे नगरों के मोहल्ले में दिखाई नहीं दे रहा है। जाहिर है कि योजना के मद की धनराशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में चला गया है।

अब केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के तहत हुए कार्यों की जांच कराने का निर्णय लिया है। उधर हमारे नगरों पर जनसंख्या का बोझ लगातार बढ़ता गया है।

एक अध्ययन के अनुसार अगले 10 वर्षों में देश की 25 करोड़ अतिरिक्त शहरी आबादी के लिए 20 करोड़ अतिरिक्त पानी कनेक्शनों और प्रसाधनों की जरूरत होगी। इनके लिए मकान और परिवहन के संसाधनों के अलावा 160 गीगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन की जरूरत पड़ेगी। इन मूलभूत मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को एक खरब डॉलर का निवेश करना होगा।

भविष्य में विकास दर मद्देनजर शहरी इलाकों में यातायात व्यवस्था न केवल महंगी होगी, बल्कि उसे लागू करना भी मुश्किल होगा। विकास के प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि लोग खेती से निकलकर जीविका के अन्य साधनों को अपनाएं, लेकिन इन साधनों को मुहैया कराने की सरकार और समाज की आधी अधूरी योजनाओं के कारण शहर नरक बनते जा रहे हैं। झुग्गी–झोपड़ी शहर को चलाने वाले कामगारों की पनहगाह बनी रहेंगी। इसलिए इसे आवासीय समस्या मानने के बजाए शहरवासी उन्हें उचित स्थान दें। वे शहरीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हमें झुग्गी मुक्त शहर का सपना देखने के बजाय अपने शहरों को उसी हिसाब से डिजाइन करना चाहिए।

मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे बड़े–बड़े महानगरों से लेकर कानपुर, लखनऊ, आगरा, पटना, भोपाल आदि नगरों में बनी झोपड़पट्टियां शहरों की नाकामी की ही प्रतीक हैं। हमारे देश में झोपड़पट्टियों में रहने वाले 17 करोड़ लोगों की आबादी दुनिया के कम से कम पांच देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। इसका नतीजा है सार्वजनिक सेवाएं बदतर हो गई हैं।

सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि सारा विकास कुछ शहरों में केंद्रित करके हम छोटे शहरों को उनकी लघु कलाओं और लघु उद्योगों से वंचित कर रहे हैं और बड़े महानगरों की ओर पलायन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे एक सीमा के बाद बड़े दानवाकार महानगर भी अपने ही बोझ से दब जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हमें अपने छोटे शहरों की ओर ध्यान देना होगा। उनके बारे में यह सोचा जाए कि उन्हें पैदल चलने फिरते पार किया जा सकता है। उस नगर के सीमित दायरे में ही सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। ❑

विवेकानंद का विलक्षण दर्शन

विवेकानंद ने यह स्पष्ट कर दिया था कि व्यावहारिक वेदांत का उनका विचार धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। यह जीवन का नया सिद्धांत है, जो इस विश्वास पर आधारित है कि जीवन और प्रकृति की सभी चीजों में एक ही दैवीय चेतना भरी है और सभी विश्वास इस चेतना के साथ आपस में जुड़े हुए हैं. . .विवेकानंद ने अमेरिका की अच्छी–खासी आबादी पर अपना गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने लोगों को नई प्रेरणा दी और नैतिक विभ्रम से बाहर निकलने का एक स्पष्ट मार्ग बताया।

■ जगमोहन

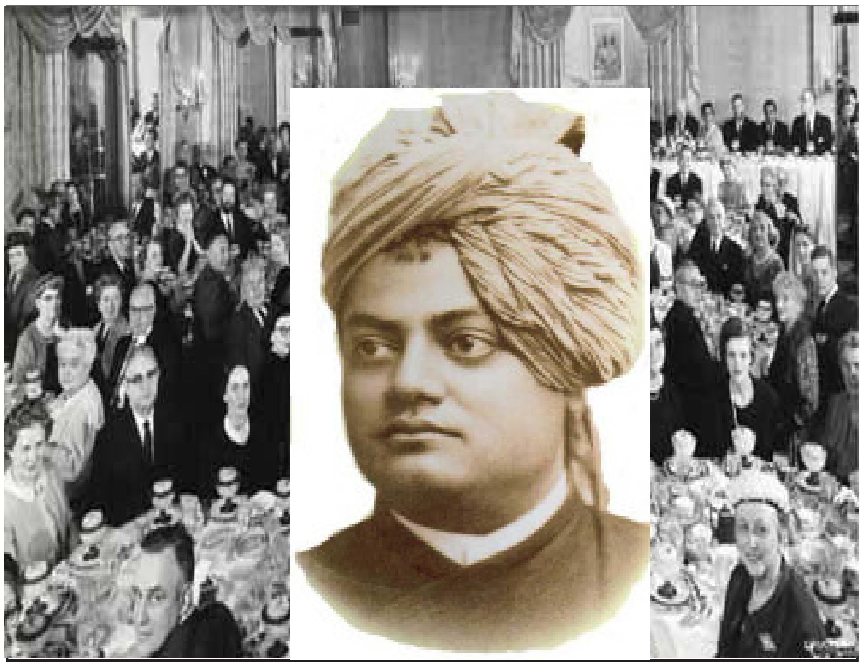

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बीते वर्ष में अपनी भारत यात्रा के दौरान कई ऐसी बातें कहीं जो भारतीयों को सुनने में अच्छी लगीं। उन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का उल्लेख किया, विशेषकर शांति और बहुलवाद पर उसके अटूट विश्वास का। मानवता और वैश्विक बंधुत्व के दो महान प्रचारकों – गांधी और विवेकानंद का भी विशेष उल्लेख हुआ। ओबामा ने अमेरिका की नैतिक कल्पनाशक्ति के विस्तार में भारतीय योगदान को भी रेखांकित किया। अमेरिका के नैतिक भाव के इस विस्तार में स्वामी विवेकानंद ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

हमारे समय के महान अमेरिकी शिक्षाविद् एलेनर स्टार्क के शब्दों में अमेरिका में पूरब की आवाज हावी हुई। इसने कुछ ही वर्षों के भीतर यहां के लोगों में नवजागरण के बीज बो दिए। शताब्दी में बदलाव के साथ पूरे देश में एक खामोश क्रांति का सूत्रपात हो गया। अमेरिकी लोगों को स्वामी विवेकानंद ने ऐसे विवेक और शक्ति के साथ अपना संदेश दिया जिससे उस समय उनको सुनने वाले हर व्यक्ति ने अपने जीवन को बदला हुआ पाया। उन सभी के मन–मस्तिष्क मुक्त हो गए।

विवेकानंद ने अमेरिका की अच्छी–खासी आबादी पर अपना गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने लोगों को नई प्रेरणा दी और नैतिक विभ्रम से बाहर निकलने का एक स्पष्ट मार्ग बताया। 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका एक विशाल आर्थिक महाशक्ति बन चुका था। इसके समाज अभूतपूर्व समृद्धि–संपन्नता अर्जित कर रहे थे। विज्ञान और तकनीक के कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लोगों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसने नाटकीय सुधार किया था। नगर बड़े–बड़े महानगरों में तब्दील हो रहे थे, जो उसकी बढ़ती संपन्नता और ऐश्वर्य के साथ–साथ अत्यंत कुशल प्रबंधन के प्रतीक थे।

उद्योग और उद्यम में विकास की रफ्तार ने पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया। कम शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका में भौतिक उन्नति विलक्षण, शानदार और दर्शनीय थी। उसी दौर में अमेरिका का एक संवेदनशील वर्ग यह महसूस कर रहा था कि उनके जीवन से कुछ न कुछ रोज ही खोता जा रहा है। उसने खुद को एक रोबो की तरह काम करते हुए पाया–यानी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गाड़ी लाल और हरी बत्ती देखकर रुकती–चलती थी। निजी जीवन की स्थिरता और शांति में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था।

आम अमेरिकी समाज एक नई तरह की अशांति का अनुभव कर रहा था। यह अशांति लोगों के घरों, परिवार में बिखराव

विवेकानंद यह बताते हुए कभी नहीं थके कि कभी किसी दूसरे को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि यह पूरा जगत एक है और किसी को चोट पहुंचाने का अर्थ है कि आप खुद को क्षति पहुंचा रहे हैं। विवेकानंद ने कहा कि उद्यम और जीवन के ऊंचे मानकों की तलाश की अमेरिकी भावना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सभी गतिविधियां अद्वैत संस्कृति के दायरे के भीतर होनी चाहिए और इस प्रक्रिया में एकीकृत अस्तित्व के किसी अन्य भाग पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

से उपजी थी। मादक पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ने लगा। हथियारों के प्रति आकर्षण बढ़ा। धन और भौतिक सामग्री की कभी न खत्म होने वाली भूख ने अमेरिकी समाज में एक तरह की तबाही ही ला दी। आर्थिक और तकनीकी प्रगति एक ओर आसमान छू रही थी तो दूसरी ओर सामाजिक और नैतिक पतन नए निम्न तलाश रहा था। इस दौरान आय में असाधारण विषमताओं ने हालात और जटिल बना दिए। संपन्न अमेरिका के भीतर एक नया अमेरिका आकार लेने लगा।

यह नया अमेरिका था – वंचित और पिछड़े लोगों का समाज। इन

विषमताओं, विडंबनाओं और जीवन की जटिलताओं के बीच स्वामी विवेकानंद परिदृश्य में उभरे। अपनी दो यात्राओं (पहली 1893 से 1896 और दूसरी 1899–1900) में विवेकानंद ने अमेरिकी मनोभावों को इस तरह छू लिया जैसा किसी विदेशी दार्शनिक और गुरु ने अब तक नहीं किया था। उनका भाव, शैली, आशय, सभी कुछ विलक्षण था। वह विश्वविद्यालयों में बोले, चर्च, शहर के मशहूर केंद्रों और कुल मिलाकर हर तरह की सार्वजनिक और निजी बैठकों में उनकी वाणी ने अपना असर दिखाया।

शिकागो में सभी धर्मों की विश्व संसद में उनके संबोधन के एक–एक शब्द ने पूरी दुनिया में उनकी ख्याति फैला दी। उन्होंने सामाजिक और नैतिक जीवन के लगभग सभी पहलुओं में अपने विशिष्ट विचार विशिष्ट शैली में दुनिया के सामने रखे, लेकिन वह अपने श्रोताओं को कभी यह बताना नहीं भूले कि यदि पूरी दुनिया में हमें खुशहाल, सौहार्द्रपूर्ण और संतुलित समाजों की रचना करनी है तो इस विश्व के सभी लोगों के लिए व्यावहारिक वेदांत को जीवन का निर्देशक तत्व बनाना होगा।

विवेकानंद ने यह स्पष्ट कर दिया था कि व्यावहारिक वेदांत का उनका विचार धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। यह जीवन का नया सिद्धांत है, जो इस विश्वास पर आधारित है कि जीवन और प्रकृति की सभी चीजों में एक ही दैवीय चेतना भरी है और सभी विश्वास इस चेतना के साथ आपस में जुड़े हुए हैं।

विवेकानंद यह बताते हुए कभी नहीं थके कि कभी किसी दूसरे को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि यह पूरा जगत एक है और किसी को चोट पहुंचाने का अर्थ है कि आप खुद को क्षति पहुंचा रहे हैं। विवेकानंद ने कहा कि उद्यम और जीवन के ऊंचे मानकों की तलाश की अमेरिकी भावना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सभी गतिविधियां अद्वैत संस्कृति के दायरे के भीतर होनी चाहिए और इस प्रक्रिया में एकीकृत अस्तित्व के किसी अन्य भाग पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

उन्होंने अंधाधुंध तरीके से धन अर्जित करने की प्रवृत्ति की निंदा की। उस समय अमेरिकी लोग अपने विश्वास और आधुनिक विज्ञान के रहस्योद्घाटनों के विरोधाभासों को लेकर दुविधा का सामना कर रहे थे। यहां भी विवेकानंद ने उन्हें राह दिखाई। उन्होंने कहा कि लौकिक ऊर्जा उस व्यापक ऊर्जा से किसी भी तरह भिन्न नहीं है जिस पर वैज्ञानिक विश्वास करते हैं। उन्होंने लौकिक ऊर्जा के सभी रूपों–पदार्थ, विचार, बल, बुद्धि–विवेक को ईश्वरीय अंश मानते हुए उसी ऊर्जा का रूप बताया जो विज्ञान का आधार है। ❑

महिला आरक्षण

आज भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र का दावा करता है। परंतु हमारी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी नाममात्र की है। इसीलिए महिला आरक्षण की व्यवस्था का हमारे देश में महत्वपूर्ण कदम 73 व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है। जिसके द्वारा पंचायतीय और शहरी निकायों की संख्याओं में महिलाओं की भागीदारी एक तिहाई सुनिश्चित की गई है. . .वर्तमान समय में जब महिलाए हर क्षेत्र में अपनी सफलता की पताका लहरा रही हो, उस समय में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कहना भी एक प्रकार से महिलाओं का अपमान है और फिर उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण का राजनीतिक आरक्षण ही क्यों?

■ रेणु पुराणिक

विश्व में महिलाओं को जिन देशों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। वे स्केडिनेवियन देश जहां स्वीडन में 40 प्रतिशत, नार्वे में 39 प्रतिशत, फिनलैंड में 33 प्रतिशत, डेनमार्क में 33 प्रतिशत तथा हालैंड में 31 प्रतिशत महिलाएं संसद और विधानसभाओं में पहुंची हैं। इसके विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में 9.5 प्रतिशत और अमेरिका में 11 प्रतिशत महिलाओं को संसद में भागीदारी प्राप्त हो सकी है। रूस में 10.2 प्रतिशत और भारत में तो 7 प्रतिशत से भी कम भागीदारी महिलाओं को प्राप्त है।

किसी भी समाज के विकास का आधार उस समाज में प्राप्त महिलाओं के अधिकार, अस्मिता एवं संपन्नता पर आधारित है। भारतीय संविधान में महिला और पुरुष दोनों के समक्ष उनके विकास के लिए समान अवसरों तथा अनेक प्रावधानों द्वारा महिला की सुरक्षा, समानता एवं संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात् भी महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन नाम–मात्र आए हैं।

वर्तमान समय में जब महिलाए हर क्षेत्र में अपनी सफलता की पताका लहरा रही हो, उस समय में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कहना भी एक प्रकार से महिलाओं का अपमान है और फिर उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण का राजनीतिक आरक्षण ही क्यों?

इस संबंध में जानने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सन् 1994 में अंतर संसदीय संघ की बैठक पेरिस में हुई थी। उसमें एक कार्य योजना स्वीकार की गई थी। इस कार्य योजना का उद्देश्य यह था कि राजनीति जीवन में पुरुषों और महिलाओं के बीच जो असंतुलन है उसे दूर किया जाना आवश्यक है, राज्यों को अंदरूनी तौर पर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि लोकतंत्र में महिलाओं की प्रभावशाली भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

यह विचार केवल अंतर संसदीय संघ का ही नहीं है। सन् 1919 में बने लीग नेशंस और इसी की नींव पर बने सन् 1945 के संयुक्त राष्ट्र संघ की मूलभूत अवधारणा भी यही है कि विश्व में लोकतंत्र को सुदृढ़ करना है तो महिलाओं की भागीदारी के बिना विश्व में लोकतंत्र की सुदृढ़ता सुनिश्चित नहीं हो सकती है। परंतु ये अनेकों विचार अनुशंसाए व आदर्श केवल पुस्तकों के पृष्ठों तक या फिर विश्व के बड़े–बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ही सिमट गया है। यहां तक कि यूरोप के विकसित देशों और जनतंत्र की मातृभूमि के रूप में पहचाना जाने वाला देश ग्रेट ब्रिटेन भी संसद में महिलाओं की पचास प्रतिशत भागीदारी आज तक सुनिश्चित नहीं कर सकता है।

विश्व में महिलाओं को जिन देशों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

वे स्केडिनेवियन देश जहां स्वीडन में 40 प्रतिशत, नार्वे में 39 प्रतिशत, फिनलैंड में 33 प्रतिशत, डेनमार्क में 33 प्रतिशत तथा हालैंड में 31 प्रतिशत महिलाएं संसद और विधानसभाओं में पहुंची हैं। इसके विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में 9.5 प्रतिशत और अमेरिका में 11 प्रतिशत महिलाओं को संसद में भागीदारी प्राप्त हो सकी है। रूस में 10. 2 प्रतिशत और भारत में तो 7 प्रतिशत से भी कम भागीदारी महिलाओं को प्राप्त है। फ्रांस जैसे देश में भी महिलाओं की भागीदारी मात्र 6.2 प्रतिशत ही है। जहां तक भारत की महिलाओं को 33 प्रतिशत संसदीय भागीदारी की अवधारणा का प्रश्न है तो वह सन् 1995 में सुयंक्त राष्ट्र संघ की चौथी विश्व महिला कान्फ्रेंस से अस्तित्व में आया है। इस कान्फ्रेंस में 33 प्रतिशत को कम से कम माना गया था। पुरुषवादी वर्चस्व की शिकार भारतीय राजनीति में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य कितना पूर्ण हो सकेगा।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति–निर्देशक तत्वों के माध्यम से महिलाओं को समान सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया है और समय–समय पर संसद द्वारा महिलाओं के हित में कानून पारित किए गए हैं।

परंतु 9 मार्च 2010 को भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक जिस तरह प्रस्तुत एवं पारित हुआ, उससे हमारे राजनीतिज्ञों की विश्वसनीयता संदेहास्पद है।

देश में आज भी महिलाए राजनीति के साथ–साथ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में चिन्हित है। विकास संबंधी रणनीति और प्रक्रियाओं के द्वारा नकारात्मक और हानिकारक शक्तियों की बाढ़ ऐसी आ रही है जिसकी महिलाए प्रमुख रूप से

शिकार बनती जा रही है। चाहे जाति/साम्प्रदायिक दंगे हो या गरीबी और फर्जी की समस्या हो या फिर दहेत, यौन उत्पीड़न या हिंसा की घटना हो, महिलाएं लगातार यातनाएं झेल रही हैं। विडंबना यह है कि यह सब उस देश में हो रहा है, जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला ही है।

आज भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र का दावा करता है। परंतु हमारी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी नाममात्र की है। इसीलिए महिला आरक्षण की व्यवस्था का हमारे देश में महत्वपूर्ण कदम 73 व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है। जिसके द्वारा पंचायतीय और शहरी निकायों की संख्याओं में महिलाओं की भागीदारी एक तिहाई सुनिश्चित की गई है।

आरक्षण भले ही राजनीतिक के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। इस विषय को लेकर हमेशा से ही विरोध के स्वर मुखरित होते रहे हैं। कभी जाति व धर्म की आड़ लेकर, तो कभी अन्य कारणों से दिए जाने वाले आरक्षण से किसी–किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष को मिलने वाले लाभ सीधे शब्दों में उनकी सफलता का सीधा व छोटा पथ है।

यह सत्य है कि कुछ आर्थिक रूप से अक्षम व समाज में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए लाभदायक होता है। परंतु अधिकांशतः आरक्षण के नाम दिया जाने वाला कोटा सामान्य वर्ग के योग्य लोगों की सफलता के पथ में रोड़ा भी बन जाता है। इसलिए इस विषय पर हमेशा संसद से लेकर हर गली चौराहों व कालेज के गलियारों में अकसर वाद–विवाद होता रहता है लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचाने से पहले ही इसे विराम दे दिया जाता है। ❑

आरक्षण भले ही राजनीतिक के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। इस विषय को लेकर हमेशा से ही विरोध के स्वर मुखरित होते रहे हैं। कभी जाति व धर्म की आड़ लेकर, तो कभी अन्य कारणों से दिए जाने वाले आरक्षण से किसी–किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष को मिलने वाले लाभ सीधे शब्दों में उनकी सफलता का सीधा व छोटा पथ है।

दक्षिण एशिया महासंघ अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करता है

आज पाकिस्तान के बुद्धिजीवी भी भारत–पाकिस्तान महासंघ व दक्षेस के माध्यम से एशिया महासंघ बनाए जाने की बात कर रहे हैं। भारत में भी बहुत से सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों का चिंतन भी यही है कि अखंड भारत के मायने किसी दूसरे देश की जमीन को छीनना नहीं है। वर्तमान युग में किसी युद्ध के माध्यम से किसी पर अधिकार नहीं स्थापित किया जा सकता।

■ दीवान अमित अरोड़ा

यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भारत का विस्तार ईरान से लेकर बर्मा तक रहा है। धीरे–धीरे भारत की सीमाएं सिकुड़ती चली गई। समय–समय पर नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा (मयांमार) बंगलादेश, पाकिस्तान भारत से अलग हुए। भारत की राजनीतिक सीमाएं बदली लेकिन भूगौलिक सीमाएं आज भी वही है। सांस्कृतिक दृष्टि से आज भी हम एक हैं। पुरातनकाल में बहुराज्यीया राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान रही है। उस समय अनेक राज्य होते हुए उन सभी राज्यों की सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां एक जैसी होती थी। इतने विशाल भूखंड पर केंद्रीय शासन स्थापित होना असंभव था। इसलिए विशाल भूखंड में छोटे–छोटे राज्य होते हुए भी वहां के राजा या शासक एक ही व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते थे। सभी एक ही राजधर्म पा पालन करते थे।

बीसवीं सदी के आरंभ में हमारा राजनीतिक भूभाग 7656000 स्केयर किलोमीटर था जोकि वर्तमान समय में 3159450 स्केयर किलोमीटर रह गया है। जोकि आधे से भी कम का भूभाग रह गया है। लेकिन आज बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में भाषा, वेशभूषा, संस्कृति अनेक चीजें समान है लेकिन इस्लामिक विचारधारा भूगौलिक राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करती।

इस्लाम के नाम पर अलग होकर बेशक पाकिस्तान व बंगलादेश ने अपनी मुस्लिम राष्ट्र की पहचान बनाई है और भारत भी एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। लेकिन यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि भारत में जितने भी खंड अलग होकर स्वतंत्र देश बनें वह सभी आज कमजोर राष्ट्र जाने जाते हैं। अमरीका व चीन से आने वाला कोई भी राजयनायिक हमारा वैश्विक व आर्थिक महत्व तो समझता है लेकिन जाते–जाते भारत–पाकिस्तान को शांति का उपदेश देकर चला जाता है।

इस प्रकार गत दिनों जब अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा आए तो भारत को आतंकवाद के साथ मुकाबला करने व दोनों देशों को शांति का उपदेश देकर चले गए लेकिन अमरीका में जाकर हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान को अति–आधुनिक

सन् 1947 के विभाजन के पश्चात् हमारा अरबों रूपया पाकिस्तान व बंगलादेश की सीमाओं की सुरक्षा हेतु प्रति वर्ष खर्च किया जाता है। जोकि हमारी उन्नति में बहुत बड़ी रूकावट बना हुआ है। अमरीका, चीन व यूरोपीय ताकतें यह नहीं चाहती कि भारत–पाकिस्तान इक्कठे हो और एशिया की ताकत के रूप में सामने आए।

लड़ाकू विमानों की खेप जारी कर दी। अमरीका पाकिस्तान की मदद इसीलिए कर रहा है क्योंकि भारत अंदर से कमजोर है।

सन् 1947 के विभाजन के पश्चात् हमारा अरबों रूपया पाकिस्तान व बंगलादेश की सीमाओं की सुरक्षा हेतु प्रति वर्ष खर्च किया जाता है। जोकि हमारी उन्नति में बहुत बड़ी रूकावट बना हुआ है। अमरीका, चीन व यूरोपीय ताकतें यह नहीं चाहती कि भारत–पाकिस्तान इक्कठे हो और एशिया की ताकत के रूप में सामने आए। यह ताकते कश्मीर जैसी समस्या को लटकाए रखते हुए आतंकवाद की छद्म लड़ाई में ही इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है। इसी के फलस्वरूप यह दोनों देश आज विश्व बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं और अमरीका इसी कर्ज वापसी व ब्याज लौटाने का होवा दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव से दोनों देशों के नियमों में बदलाव करता है।

इसीलिए अमरीकी कंपनियों की गिद्ध दृष्टि भारत के विशालकाय बाजार पर कब्जा जमाने के लिए गड़ी हुई हैं। इन सब का उदाहरण आज हमारे सामने दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया तथा ईरान और ईराक की लड़ाई से मिलता है जोकि अमरीकी नीतियों के तहत आपसी लड़ाई में अपने आपको बर्बाद कर बैठे हैं और आज दुनिया के सबसे कमजोर राष्ट्रो में गिने जाते हैं।

चीन भी पूरे विश्व में अपना आर्थिक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसीलिए वह भी समझता है कि अगर भारत–पाकिस्तान में आपसी शांति, सद्भाव व व्यापार बढ़ता है तो यह दोनों देशों की ताकत बढ़ेगी और भारत व पाकिस्तानी बाजारों में बिकने वाला चीनी सामान का मुकाबला यह दोनों देश बखूबी कर पाएंगे।

यही कारणों को समझाते हुए आज पाकिस्तान के बुद्धिजीवी भी भारत–पाकिस्तान महासंघ व दक्षेस के माध्यम से एशिया महासंघ बनाए जाने की बात कर रहे हैं। भारत में भी बहुत से सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों का चिंतन भी यही है कि अखंड भारत के मायने किसी दूसरे देश की जमीन को छीनना नहीं है। वर्तमान युग में किसी युद्ध के माध्यम से किसी पर अधिकार नहीं स्थापित किया जा सकता। आज अगर शक्तिशाली बनना है तो केवल आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा होना होगा और यह तभी संभव है जब भारत–पाक मिल कर एक–दूसरे के साथ प्रेम–प्यार व आपस में खुला कर व्यापार आरंभ करें।

सीमाओं की पांबदियों को हटा दें। दोनों देशों की सरकारें भले ही रहे। अलग–अलग संसद रहे, प्रशासन रहे लेकिन आपस में सांस्कृतिक सद्भाव व आवाजही बनी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अखंड भारत अर्थात् शक्तिशाली महासंघ बनाने की बात कही है। जिसे कुछ विचारक बृहतर भारत का नाम देते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि संघ मुस्लिम विरोधी नहीं है और संघ मुस्लिम समुदाय को सांस्कृतिक भारत का ही अंग मानता है और एक साथ इक्कठे रहने का प्रबल समर्थक है।

इस बात से भी पुष्टि होती है कि संघ वर्ष 1947 से ही भारत–पाक विभाजन का विरोधी रहा है। इसका सीधा सा एक

भारत में सत्तारूढ कांग्रेस नीत सरकार की बांटो और करो की नीति के चलते हिंदू आतंकवाद व भगवा आतंकवाद का होवा दिखाकर हिंदू–मुस्लिम समुदाय को बांटने की कोशिश की जा रही है। केवल वोट बैंक की खातिर देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर देश के अधिकांश राज्य नस्लीय हिंसा का शिकार हैं।

ही कारण है कि संघ भी चाहता है कि भारत–पाकिस्तान इक्कठे मिलकर आपसी मेल–मिलाप से, प्रेम–पूर्वक एक–दूसरे के साथ आवाजाही व व्यापार का आदान–प्रदान आरंभ करें। अगर दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार व आवाजाही बढ़ेगी तो आपसी सद्भाव भी बनेगा और आपसी दूरियां भी समाप्त होगी। जिसका परिणाम आपसी विश्वास, आतंकवाद की समाप्ति व आर्थिक रूप से मजबूती होगी।

लोगों की आपसी सद्भाव, प्रेम–मिलाप, बड़ी–बड़ी नफरत की दीवारों को मिटा देता है और यही उदाहरण हमारे सामने जर्मनी का रहा है। जो 50 वर्ष बाद पुनः आपस में एक हो गया। दोनों देशों की सरकारें बेशक अलग रहे लेकिन व्यापार व आने–जाने की खुली व्यवस्था से दोनों देश आपस में ताकत बनेंगे और जिस दिन यह दोनों देश आपस में मिलकर चलें। उसी दिन दक्षिण एशिया के बाकी देश भी साथ मिलकर एक शक्तिशाली महासंघ का निर्माण करेंगे।

इस बात का अहसास अब भारत–पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी होने लगा है और इसके सराहनीय प्रयास दक्षेस के माध्यम से जारी है। भारतीय टीवी मीडिया ने भी अपने सांस्कृतिक व संगीतमय कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के लोगों को नजदीक लाने का सराहनीय प्रयास किया है। हमारी योग पद्धति व आर्युवेद ने भी विदेशों में भारतीय संस्कृति का लोहा मनवाया है तथा विश्व भर में श्रेष्ठता सिद्ध की है।

भारत में सत्तारूढ कांग्रेस नीत सरकार की बांटो और करो की नीति के चलते हिंदू आतंकवाद व भगवा आतंकवाद का होवा दिखाकर हिंदू–मुस्लिम समुदाय को बांटने की कोशिश की जा रही है। केवल वोट बैंक की खातिर देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर देश के अधिकांश राज्य नस्लीय हिंसा का शिकार हैं। छद्‌म धर्मनिरपेक्ष ताकतों की नीतियों से देश कमजोर हो रहा है। अलगाववादी ताकतें देश को तोड़ने की कोशिशें कर रही हैं।

आज समय की जरूरत है कि भारत के अंदर एक शक्तिशाली हिंदू संस्कृति जोकि एक श्रेष्ठ संस्कृति जानी जाती है को संगठित किया जाए। जिस प्रकार गुजरात में हिन्दू संस्कृति एक ताकत बनकर सामने आई तो आज गुजरात राज्य आर्थिक रूप से विकसित, शाक्तिशाली गुजरात बन कर सामने आया है।

आज सबसे बड़ी जरूरत देश के अंदर भी इस देश के 80 प्रतिशत हिन्दू समुदाय को एकजुट करने की है। भारतीय हिन्दू संस्कृति में इतनी गहराई है कि वह सभी धर्मों के लोगों को स्वीकार करने की ताकत रखती है। जिस दिन हिन्दू एकजुट हुआ उसी दिन भारतीय संस्कृति का जयघोष होगा और भारत एक वैभवशाली राष्ट्र होगा। साथ ही भारत दक्षिण एशिया में ताकत बन कर एक महासंघ के रूप में बाकी देशों का नेतृत्व करेगा और यही शक्तिशाली महासंघ अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करेगा। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

भक्तों के बीच भगदड़ का सिलसिला

पहाड़ी पर स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में पिछले दो महीने से चल रही तीर्थ यात्रा का समापन भी था और यह केरल की सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए कोई अनजाना कर्मकांड नहीं था। इसका अंतिम कर्मकांड मकर ज्योति के नाम से जाना जाता है, जिसे श्रद्धालु दैवीय प्रकाश कहते हैं। पूजा के बाद मकर ज्योति को देखकर ही श्रद्धालु वापस लौटने की कोशिश करते हैं। हिंदू मान्यता में मकर संक्रमन शुभ घड़ी मानी जाती है. . .

■ अवधेश कुमार

वर्ष 2011 के पहले महीने में इतनी बड़ी त्रासदी ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। इस बार केरल के इडुक्की जिले का प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर काल बना है। मौत के मुंह में समा जाने वाले उन अभागे श्रद्धालुओं को कुछ क्षण पहले तक पता भी नहीं था कि भगवान एवं उनकी ज्योति का दर्शन करने के बाद वे मकर संक्रांति या पोंगल मनाने की जिस आनंददायी कल्पना में डूबे हैं, वह कल्पना ही रह जाएगी। काल का क्रूर थपेड़ा उनकी जिंदगी का अंत करने को बस कुछ ही दूर खड़ा है। चूंकि वहां केरल के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के श्रद्धालु आते हैं, इसलिए मृतकों में इन सभी प्रदेशों के निवासी हैं, लेकिन ज्यादा संख्या तमिलनाडु के श्रद्धालुओं की है।

जाहिर है वे पोंगल मनाने ही लौट रहे थे। चाहे वे जिस प्रदेश के हों, उनका कोई दोष नहीं था। वे अपनी स्वाभाविक भक्ति भावना के तहत धार्मिक दायित्व निभाने की आकांक्षा के साथ वहां गए थे और इसका ऐसा निर्दयी प्रतिदान नहीं होना चाहिए था। वे अगर काल के गाल में समाए हैं तो इसके लिए वे या उनके परिजन कतई जिम्मेवार नहीं थे। अगर किसी की जिम्मेवारी हो सकती है तो उनकी, जिन पर श्रद्धालुओं के कर्मकांड से लेकर उनकी सुरक्षित आवाजाही के प्रबंधन का दायित्व था।

किंतु विडंबना देखिए कि धर्मस्थलों पर होने वाली पूर्व खूनी त्रासदियों के समान यहां भी कोई जिम्मेवारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चाहे एक संकीर्ण रास्ते से लौट रही एक जीप श्रद्धालुओं की भीड़ में घुस गई हो या दो वाहनों में टक्कर हुई हो, ऐसी त्रासदियों का कुछ प्रत्यक्ष कारण होता ही है। मकर संक्रांति के अवसर पर वहां भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं।

पहाड़ी पर स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में पिछले दो महीने से चल रही तीर्थ यात्रा का समापन भी था और यह केरल की सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए कोई अनजाना कर्मकांड नहीं था। इसका

किंतु विडंबना देखिए कि धर्मस्थलों पर होने वाली पूर्व खूनी त्रासदियों के समान यहां भी कोई जिम्मेवारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चाहे एक संकीर्ण रास्ते से लौट रही एक जीप श्रद्धालुओं की भीड़ में घुस गई हो या दो वाहनों में टक्कर हुई हो, ऐसी त्रासदियों का कुछ प्रत्यक्ष कारण होता ही है। मकर संक्रांति के अवसर पर वहां भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं।

अंतिम कर्मकांड मकर ज्योति के नाम से जाना जाता है, जिसे श्रद्धालु दैवीय प्रकाश कहते हैं। पूजा के बाद मकर ज्योति को देखकर ही श्रद्धालु वापस लौटने की कोशिश करते हैं। हिंदू मान्यता में मकर संक्रमन शुभ घड़ी मानी जाती है। इस घड़ी में सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और भगवान अयप्पा की प्रतिमा को विशेष आभूषण थिरुभारणम में सजाकर गर्भगृह में लाया जाता है। उस क्षण को देखकर अपना अंतर्तम तृप्त करने की कामना लिए भक्तों का रेला लगा रहता है। शाम को लगभग सात बजे लाखों श्रद्धालुओं ने मकर ज्योति का दर्शन किया। 10 हजार से ज्यादा लोग पुलमेडु की पहाड़ी पर इसलिए खड़े थे, क्योंकि वहां से मकर ज्योति साफ देखी जा सकती है।

वंदीपेरियार से पुलमेडु तक का रास्ता खतरनाक है। पुलुमेडु के जंगल में, जहां पेरियार बाघ संरक्षण अभयारण्य है, एक संकरा रास्ते से हजारों की संख्या में लौटते लोगों के बीच कोई गाड़ी अनियंत्रित हो जाए तो पहले उससे कुछ का कुचलना और फिर भगदड़ में एक ज्यादा का कुचल जाना ही उनकी नियति हो सकती थी। यही हुआ।

मकर ज्योति दिखने तक पुलमेडु की पहाड़ी और जंगल अंधेरे में परिणत हो चुके थे। भारी संख्या में लौटते लोगों के पास अंधेरे में रास्ता देखने के लिए एक–दूसरे का ही सहारा था। इसमें एक जीप नियंत्रण खो गई तो उसका परिणाम क्या हो सकता था? वापस लौटते लोग आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे और घबराहट फैल गई। फिर जो होना था, वही हुआ।

केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय

आपदा घोषित करना उचित है। रक्षा मंत्री एके एंटनी केरल के हैं, इसलिए वहां सेना के जवानों का तुरत मार्च करना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल (नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) ने भी अपना काम किया है। इसी प्रकार केरल सरकार की यह घोषणा एक हद तक राहत देने वाली है कि सरकार सभी मृतकों के परिवारों तक जाएगी और अपने खर्च पर उन सबका दाह संस्कार करवाएगी। साथ ही जिनके कपड़े, पैसे सब खो गए, उन्हें कपड़े एवं वापसी खर्च दे रही है।

किंतु इससे उनका दोष नहीं छिप

संकरे रास्ते और उससे लोगों का लौटता हुजूम पुलिस एवं राहत दल के रास्ते की प्रमुख बाधा बना रहा। क्या ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थान के लिए मार्ग, प्रकाश और संचार की समुचित व्यवस्था करना सरकारों का दायित्व नहीं है?

सकता। पुलिस महानिदेशक जैकब पुन्नोस ने यह स्वीकार किया कि दूरस्थ इलाका होने तथा प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण राहत कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। घटना करीब आठ बजे रात्रि घटी पर उसके दो घंटे बाद ही बाहरी दुनिया को इसका पता चलना आरंभ हुआ।

संकरे रास्ते और उससे लोगों का लौटता हुजूम पुलिस एवं राहत दल के रास्ते की प्रमुख बाधा बना रहा। क्या ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थान के लिए मार्ग, प्रकाश और संचार की समुचित व्यवस्था करना सरकारों का दायित्व नहीं है? 1952 में पटाखा फटने से हुई वहां दुर्घटना तो पुरानी बात हो गई, किंतु 1999 में हुई भगदड़ से 53 लोगों की मौत ने यह साफ कर दिया था कि अयप्पा मंदिर के सन्नीधनम पहुंचने के लिए जंगल का संकरा रास्ता कभी भी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है।

पुलमेडु के जंगली रास्ते का सबरीमाला के यात्री वर्षों से प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ सालों से पंपा एवं इरुमेली के मुख्य रास्ते की भीड़ से बचने के लिए भी इसका

प्रयोग करने लगे हैं। तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यदि पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाती तो यात्रियों को भी उचित मार्गदर्शन मिलता।

हालांकि प्रशासन वहां 1300 पुलिस बल के होने का दावा करता है, पर वहां जाने वाले बताते हैं कि पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से यातायात अराजक अवस्था में था एवं यात्रियों ने कई बार आक्रोश में आकर हंगामा एवं विरोध प्रदर्शन भी किया।

साफ है कि पुलिस बल पर्याप्त संख्या में उपस्थित होता तथा आवागमन से लेकर आवास आदि का उचित प्रबंधन किया जाता तो या तो हादसा होता ही नहीं या फिर यह इतनी भयानक त्रासदी नहीं बन पाता।

मंदिर प्रबंधकों का कहना है कि तीर्थयात्रियों को मकरविलाक्कु के समय इधर से आने की अनुमति मिलती है, लेकिन अभयारण्य होने के कारण वहां कोई स्थायी निर्माण नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि उसने प्रमुख केंद्रों मसलन सन्नीधनम, पंबा और अन्य संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा के पूरे उपाय किए हैं, लेकिन उप्पुपारा एवं पुलमेडु आदि का 35 किलोमीटर क्षेत्र इस व्यवस्था से बाहर है। जब श्रद्धालुओं की इतनी भारी संख्या उस रास्ते का प्रयोग ही नहीं कर रही थी, मकर ज्योति के दर्शन के लिए वहां कैंप तक डालकर रुकी हुई थी तो उसे किसके भरोसे छोड़ा गया?

मंदिर प्रबंधक कह रहा है कि वह उस क्षेत्र में कुछ कर ही नहीं सकता और स्थानीय प्रशासन भी वहां विशेष सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाने की विवशता जता रहा है यानी वह परंपरागत मुख्य मार्ग

भगवान भरोसे था। ऐसे बयान पर कोई भी उद्वेलित हो सकता है। यह पहली बार नहीं है।

पिछले साल 4 मार्च को प्रतापगढ़ जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के मनगढ़ स्थित भक्तिधाम मंदिर में भी भगदड़ में 65 लोग मारे गए थे। मंदिर के प्रमुख कृपालु महाराज तक ने बयान दिया कि गांव वाले भारी संख्या में वहां एकत्रित हो गए और उसमें कुछ लोगों ने प्रवेश दरवाजे को तोड़ दिया तथा उसके बाद मची भगदड़ में लोग हताहत हो गए यानी उनका कोई दोष नहीं था।

29 सितंबर 2008 को जोधपुर के मेहरानगढ़ किला स्थित चामुंडा देवी के मंदिर में हुए भयावह त्रासदी में करीब 216 लोग मर गए। वहां भी परिस्थितियों एवं लोगों के भगदड़ को मुख्य कारण बताया गया।

हम मानते हैं कि भीड़ में ज्यादातर का व्यवहार एक–दूसरे की देखादेखी निर्धारित होता है और कुछ समय के लिए विवेक ओझल हो जाता है, लेकिन इसे टालने का उपाय किया जा सकता है। बशर्ते जिम्मेवारी तय की जाए।

उसी वर्ष 3 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के विलासपुर स्थित नैना देवी के मंदिर में करीब 150 लोगों की जान चली गई और वहां भी किसी को जिम्मेवार नहीं माना गया। जब ऐसी त्रासदियों के लिए कोई जिम्मेवार ही नहीं तो फिर होगा क्या?

केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा है कि इसकी समग्र जांच कराई जाएगी। पूर्व त्रासदियों की भी जांच हुई हैं, पर उनके निष्कर्ष किसे पता हैं। घटनाओं को धीरे–धीरे भूल जाना मनुष्य का स्वभाव होता है और इसका लाभ मंदिर प्रबंधन से लेकर सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को मिलता है।

हम मानते हैं कि भीड़ में ज्यादातर का व्यवहार एक–दूसरे की देखादेखी निर्धारित होता है और कुछ समय के लिए विवेक ओझल हो जाता है, लेकिन इसे टालने का उपाय किया जा सकता है। बशर्ते जिम्मेवारी तय की जाए। ❑

मोबाइल टॉवर के नाम पर खड़ी हुई खतरे की मीनारें

मोबाईल फोन से होने वाले रेडिएशन की वास्तविकता इसके दुष्प्रभावों को जानने के लिए अब तक हम विदेशों में हुए अध्ययन, खोज आदि पर निर्भर थे, उस संदर्भ में अब हमारे सरकारी सिस्टम ने भी अपनी तरह से आंकलन किया है। मोबाईल फोन से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से थकान, अनिंद्रा, चक्कर आना, रक्तचाप बढ़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां, रिफलेक्शन की कमी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, हृदय संबंधी समस्याएं, एकाग्रता की कमी, नपुंसकता जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

■ लिमटी खरे

पिछले कुछ सालों में मोबाईल फोन उपभोक्ताओं की तादाद में विस्फोटक बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। आज भारत में मोबाइल धारकों की संख्या 65 करोड़ को पार कर गयी है। इसी अनुपात में मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों ने जगह जगह टावर लगा दिए गए हैं। इन टावर को लगाने के लिए जगह के मालिक को हर माह मोटी रकम भी अदा करती हैं मोबाईल कंपनियां। इन टावर्स की स्थापना के लिए बाकायदा मानक तय किए गए हैं। विडम्बना ही कही जाएगी कि इन मानकों के पालन में मोबाईल कंपनियां पूरी तरह से संवेदनहीन ही दिखाई पड़ी हैं।

मोबाईल फोन से होने वाले रेडिएशन की वास्तविकता इसके दुष्प्रभावों को जानने के लिए अब तक हम विदेशों में हुए अध्ययन, खोज आदि पर निर्भर थे, उस संदर्भ में अब हमारे सरकारी सिस्टम ने भी अपनी तरह से आंकलन किया है। मोबाईल फोन से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से थकान, अनिंद्रा, चक्कर आना, रक्तचाप बढ़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां, रिफलेक्शन की कमी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, हृदय संबंधी समस्याएं, एकाग्रता की कमी, नपुंसकता जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

कितने आश्चर्य की बात है कि मोबाईल टावर के खतरों को भांपते हुए भी महज चंद सिक्कों की खनक के तले दबकर स्थानीय प्रशासन द्वारा सघन आबादी वाले क्षेत्रों में मोबाईल टावर स्थापित करने की छूट प्रदान कर दी जाती है।

हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों की एक उच्च स्तरीय समिति आईएमसी ने इस तरह की चेतावनी के साथ ही रेडिएशन संबंधी नियम कायदों में देश की जरूरतों के हिसाब से बदलाव की सिफारिश भी की है। समिति का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाकों, स्कूलों, खेल के मैदानों के इर्द गिर्द मोबाईल टावर की स्थापना पर कड़े प्रतिबंध होने चाहिए। गौरतलब होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडएशन के मधुमख्खी, तितली और पक्षियों पर पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनजर इस समिति का गठन किया गया था।

कितने आश्चर्य की बात है कि मोबाईल टावर के खतरों को भांपते हुए भी महज चंद सिक्कों की खनक के तले दबकर स्थानीय प्रशासन द्वारा सघन आबादी वाले क्षेत्रों में मोबाईल टावर स्थापित करने की छूट प्रदान कर दी जाती है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले साल जुलाई में इस मामले में संज्ञान लिया था। उस समय कहा गया था कि सेवा प्रदाता कंपनियों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य किया गया था कि उनके द्वारा संस्थापित टावर विकिरण के निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

समयावधि बीत जाने के बाद भी मंत्रालय को सुध नहीं आई है कि उनके

निर्देशों का मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों ने क्या हश्र किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानकों के अनुसार मोबाईल टावर्स की फ्रिक्वेंसी तीन सौ गीगा हर्ट्ज से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इंटरनेशनल कमीशन फॉर नॉन आयोनाइजिंग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि इन टावर्स से होने वाले विकिरण की तीव्रता अधिकतम छः सौ माईक्रोवॉट प्रति वर्गमीटर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कवरेज और कंजेशन से मुक्त होने की चाह में सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा तीव्रता को साढ़े सात हजार माइक्रोवॉट प्रति वर्गमीटर से अधिक कर रखी है।

अभी कुछ दिनों पहले जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययन में मोबाईल रेडिएशन को मानव शरीर की कोशिकाओं के डिफेंस मैकेनिजम के लिए घातक माना गया था। केरल के कोल्लम ताल्लुका में पर्यावरण संगठन केरल पर्यावरण अध्ययनकर्ता एसोसिएशन ने दावा किया है कि गौरैया की संख्या रेलवे स्टेशन, गोदाम, मानव बस्तियों में कमी हो रही है। अध्ययन में कहा गया है कि गौरैया के अंडे से बच्चे के बाहर आने में दस से चौदह दिए लग जाते हैं, लेकिन मोबाईल टावर के आसपास वाले घोसलों में अंडे तीस दिन में भी नहीं टूट पाए। तेरह साल की औसत आयु वाली गौरैया का चहकना अब कम ही देखने को मिल रहा है।

इतना ही नहीं मेरठ के लाला लाजपत राय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रो.ए.के. तिवारी द्वारा भी इस बारे में शोध किया गया। इस शोध में प्रो. तिवारी ने पाया कि इंसानों के साथ ही साथ मधुमक्खी, चिड़िया, यहां तक कि चूहों तक पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन्होने पाया कि मधुमख्खी के छत्ते, चिडिया के अंडे, और स्पर्म काउंट में कमी दर्ज की गई। इसमें पाया गया कि पराग चूसने गई मधुमक्खी लौटते समय रास्ता भटक जाती हैं, जिससे उनके छत्ते, कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा जेएनयू में इन टावर्स के नीचे रखे गए चूहों के स्पर्म में कमी दर्ज की गई।

एक आंकलन के मुताबिक भारत में वर्तमान में डेढ़ दर्जन से अधिक सेवा प्रदाता कंपनियों के साढ़े तीन लाख से ज्यादा मोबाईल टावर अस्तित्व में हैं इनकी तादाद तेजी से बढ़ रही है। माना जा रहा है कि 2014 तक इनकी संख्या पांच लाख पार कर जाएगी। यूं तो विशेषज्ञों का मानना है कि इन टावर्स के इर्द गिर्द रहने वालों को अपने अपने घरों का रेडिएशन टेस्ट करवाकर अपने घरों को रेडिएशन प्रूफ कर लेना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना अपनी जगह सही है, किन्तु यह कहां का न्याय है कि मुनाफा कमाएं मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियां और भोगमान भुगते देश की गरीब जनता।

पिछले साल अगस्त माह में ही केंद्रीय संचार मंत्रालय ने मोबाईल फोन टावर्स के लिए रेडीएशन की सीमा तय कर दी थी। उस समय संचार राज्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति ने फैसला लिया था कि 15 नवंबर तक रेडिएशन उत्सर्जन की सीमा लागू कर दे अन्यथा पांच लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया था।

वैसे मोबाईल टावर्स के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल, अस्पताल, सकरी तंग गलियों के आसपास टावर स्थापित न किए जाएं। इसमें मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी और जमीन के मालिक की मर्जी से टावर की संस्थापना का काम नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं टावर के पास लोगों के लिए चेतावनी बोर्ड लगाना भी अत्यावश्यक है।

मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों ने अपने एजेंट के माध्यम से टावर लगाने के खेल को अंजाम दिया जा रहा है। मामला चाहे सरकार की नवरत्न कंपनी भारत संचार निगम का हो या निजी सेवा प्रदाता का।

हर मामले में कमोबेश यही आलम है। कंपनियों के एजेंट एक मीटर लेकर आपकी जमीन की जांच करेगा, फिर गांव में पांच हजार रूपए प्रतिमाह से आपके साथ बारगेनिंग आरंभ करेगा। अगर आपको पांच हजार रूपए हर महीने की आवक हो रही हो, वह भी महज चार सौ स्क्वेयर फिट जगह को देने पर तब कौन भला इंकार करेगा। इसके लिए इन एजेंट्स द्वारा एक साल का किराया आपसे अग्रिम ही मांग लिया जाता है। फिर आपके साथ पंद्रह साल का एग्रीमेंट।

बहरहाल आज के समय में मोबाईल दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है, तब सरकार रेडिएशन के प्रति चेती है। वैसे भी देश में मंहगाई चरम पर है। सरकार को चाहिए कि सेवा प्रदाता कंपनियों पर उनके पिछले ग्राहकों की संख्या के दावों के हिसाब से ही जुर्माना आहूत करे। इस जुर्माने से ही मोबाईल टावर्स के आसपास की रिहाईश को रेडीएशन प्रूफ बनाया जाए। अभी भी समय है, अगर समय रहते सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में देश में आने वाली पीढ़ी ठीक उसी तरह नजर आएगी जिस तरह नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणुबम गिरने के बाद पीढी नजर आ रही थी। ❑

भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं को आगे आना होगा

भ्रष्टाचार केवल भारत की ही नहीं बल्कि एक वैश्विक समस्या है। आदर्श तो बनते है और टूटते हैं। इन्हीं के बीच नया करने का संकल्प लेना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ दोगलेपन की नीति बदलनी होगी।

स्वदेशी जागरण मंच मेरठ प्रांत के तत्वाधान में 'भ्रष्टाचार उन्मूलन में सूचना का अधिकार की भूमिका' विषय पर कार्यशाला का आयोजन मुरादाबाद में 18 दिसंबर 2010 को आई.एम.ए. भवन में हुआ। जिसके मुख्यवक्ता श्री श्याम लाल यादव (एसोसिएट एडीटर, इंडिया टुडे) रहे।

अपने मुख्य संबोधन में श्री यादव ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आम आदमी को ताकत देने वाला भ्रष्टाचार से लड़ने वाला सबसे ताकतवर हथियार है। सूचना का अधिकार अभी अपने शैशव काल में है और आने वाले वर्षों में जनसाधारण की सजगता के बल पर यह व्यवस्था में बदलाव का संबल बनेगा।

उन्होंने बताया कि लगभग 2 हजार से अधिक आर.टी.आई. के माध्यम से सूचना प्राप्त की है। जिसमें मंत्रियों के विदेशी दौरे का मामला हो या फिर मंत्रियों की अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का मामला, सूचना देने के बाद केंद्र सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्रीसाई अस्पताल के निदेशक डॉ. बी.के. गोयल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी को, विशेषकर युवाओं को आगे आना होगा। युवा ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्रांति लाने में सहयोगी हो सकते हैं।

विशिष्ट अतिथि श्री के.के. मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यदि आजादी के बाद ही आर.टी.आई. जैसा कानून पहले बन गया होता तो आज हमारा देश विकसित राष्ट्रों की सूची में होता।

मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉ. चंद्रमोहन ने कहा कि भ्रष्टाचार केवल भारत की ही नहीं बल्कि एक वैश्विक समस्या है। आदर्श तो बनते है और टूटते हैं। इन्हीं के बीच नया करने का संकल्प लेना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ दोगलेपन की नीति बदलनी होगी।

कार्यशाला संयोजक डॉ. अजय पंत ने अधिनियम के पारित होने के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पांच वर्षों में सूचना का अधिकार अधिनियम ने आम आदमी को शक्ति प्रदान की है।

कार्यशाला की अध्यक्षता उद्योगपति अजीत मित्तल ने की। इस अवसर पर आर.टी.आई. के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, चिकित्सक, युवा, बुद्धिजीवी और समाजसेवी उपस्थित रहे। कार्यशाला का संभाग संयोजक एवं राष्ट्रीय परिषद् सदस्य डॉ. राजीव कुमार ने किया। ❑

शहीद बाबूगेनू को श्रद्धांजलि

स्वदेशी जागरण मंच जबलपुर की दीनदयाल नगर इकाई के द्वारा इतिहास के पन्नों में खो गए हैं शहीद बाबू गेनू सईद के बलिदान दिवस 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया गया।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के प्रांत संयोजक शरद अग्रवाल ने स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी को अनुयायी बाबू गेनू सईद की याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्राण स्वदेशी भावना थी। आज फिर से विदेशी कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की खुले व्यापार की दोषपूर्ण नीति के कारण विदेशी वस्तुओं से भारत का बाजार भरता जा रहा है। जिससे भारत के उद्योग, खुदरा व्यापार एवं रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि विदेशी सामान से भरे ट्रक के नीचे लेटकर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बाबू गेनू सईद के नाम से एक चौराहे का नामकरण किया जाए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समाज सेवी भाई अन्नू अनवर ने कहा कि बाबू गेनू सईद पर समस्त भारत के देशभक्त मुस्लिमों को गर्व है। उनके जीवन से हमेशा स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता विभाग संयोजक इंद्रदत्त त्रिपाठी ने स्वाभिमान स्वावलंबन स्वदेशी के भाव जगाने एवं स्वदेशी अपनाने की बात कही।

कार्यक्रम में करीम चाचा, इसरार भाई, दिनेश त्रिपाठी, अख्तर हाजी, बड्डू पटेल, रईस राजा, भोले सोनी, रहीम खान, आनंद कोष्टा, शकील भाई, शेख ईलियास, राजू पांडे और अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार स्वदेशी जागरण मंच की दीनदयाल नगर इकाई के संयोजक संजय चौहान ने किया। ❑

स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रीयवादी विचार को अपनाएं युवा

भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा, उन्हें स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रीयवादी विचारों को अपनाकर भारत को विश्व के मंच पर पुनः स्थापित करना होगा। उक्त विचार स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच युवा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के द्वारा जबलपुर में आयोजित युवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ प्रमुख देवेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि आज लोग भारत की पहचान भगवा और साधु संतों का अपमान कर रहे हैं वह एक सोची समझी रणनीति के तहत है उन्होंने कहा कि जहां गो बेक इंडिया गो बेक के नारे लगाए जा रहे हो। जहां कश्मीर को वहां के राष्ट्रविरोधी नेता पाकिस्तान का अंग बता रहे हो, ऐसे में जम्मू कश्मीर की सरकार का कश्मीर में सुरक्षाबल को कम करने की बात राष्ट्र विरोधी लगती है जो सरकार 26 जनवरी को लाल चौक में तिरंगा फहराने का विरोध कर रही है उसका समर्थन केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए।

श्री विश्वकर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अमरीका के इशारे पर जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाना चाहती है और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की योजना बना रहे है।

उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने अनेक समस्या है उच्च शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई आदि इन सभी चुनौतियों को स्वीकार कर स्वामी जी राष्ट्रीयवादी विचारों को अपनाकर युवा भारत और भारतीयता के लिए कार्य करें।

कार्यक्रम में महाराज सिंह ने कहा कि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की संस्कृति को नष्ट कर रही है। कार्यक्रम में गीत रवि पटेल ने प्रस्तुत किया। ❑